SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं. 2

(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण
पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं. 2

विषय-सूची

अध्याय संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	iii
	कार्यकारी सारांश	v
1	परिचय	1
2	प्रतिष्ठानों और सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण	7
3	उपकर का निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण	23
4	बोर्ड द्वारा उपकर निधि का उपयोग और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन	33
5	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र	47

अनुलग्नक

संख्या	विवरण	संदर्भित	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1	दक्षिण जिले में उपकर के लिए गणना पत्रक	3.2(ii)(क)	51
2	श्रम उपकर के विलंबित जमा का विवरण	3.3(iii)	53
3	लाभार्थियों तथा कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण	अध्याय 4	55

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

सन्निर्माण कर्मकार असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक हैं। उपकर के उद्ग्रहण/संग्रहण के माध्यम से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों (बीओसीडब्ल्यू) को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम (उपकर अधिनियम), 1996 अधिनियमित किए तथा वर्ष 1998 में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली (उपकर नियमावली) भी बनाई। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2002 (डीबीओसीडब्ल्यू नियमावली) को अधिसूचित किया (जनवरी 2002) और बीओसी कर्मकारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने के लिए सितंबर 2002 में दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया।

इस प्रतिवेदन में सन्निर्माण कर्मकारों को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में विभिन्न कमियों का उल्लेख किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कर्मकारों की संख्या संबंधी आंकड़ों का अभाव, सन्निर्माण कार्य में लगे प्रतिष्ठानों और उनके द्वारा नियोजित कर्मकारों की पहचान में कमियां, पंजीकृत कर्मकारों के आंकड़ों में विसंगतियां, उपकर के निर्धारण और संग्रहण में कमियां, सन्निर्माण कर्मकारों को प्रदान किए गए अपर्याप्त कल्याणकारी उपाय आदि शामिल हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

सन्निर्माण कर्मकार, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक हैं। सामाजिक महत्व और उनके कल्याण के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सन्निर्माण कर्मकारों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2022-23 तक चार वर्षों की अवधि को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए श्रम विभाग, दिल्ली; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) तथा औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अनुसार, सन्निर्माण कार्यों में लगे प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जो सन्निर्माण कार्यों में दस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, कोई भी प्रतिष्ठान जो पंजीकृत नहीं है, उस प्रतिष्ठान में सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित नहीं करेगा।

- सन्निर्माण गतिविधियों में लगे ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान और पंजीकरण यह सुनिश्चित करने में पहला कदम है कि इन प्रतिष्ठानों में नियोजित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) पंजीकृत हो जाए और उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने से संबंधित बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पास दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू की संख्या के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़ें नहीं थे।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिलों में, अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच उपकर जमा करने वाले 97 निजी

प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं थे। इसी प्रकार, दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार सन्निर्माण में शामिल 25 प्रतिष्ठान भी पंजीकृत नहीं पाए गए। यह स्पष्ट रूप से पात्र प्रतिष्ठानों की पहचान करने और पंजीकरण करने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करने के लिए बोर्ड की ओर से ढ़िलाई को दर्शाता है।

- बोर्ड अपने साथ पंजीकृत बताए गए 6.96 लाख बीओसी कर्मकारों में से केवल 1.98 लाख का ही पूरा डेटाबेस प्रदान कर सका। 1.98 लाख लाभार्थियों में से, जिनके चित्र लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए थे, 1.19 लाख लाभार्थियों को 2.38 लाख चित्रों के साथ जोड़ा गया था, यानी प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक से अधिक चित्र।

- डुप्लिकेट चित्र, बिना चेहरे वाले चित्र और एक ही चेहरे के कई पंजीकरण की उपलब्धता, पंजीकरण प्रक्रिया में कई खामियों को इंगित करती है। चूंकि एक मज़बूत कंप्यूटर ऐल्गोरिदम को प्रत्येक चित्र में ठीक एक चेहरे की आवश्यकता होगी, यह पंजीकरण के दौरान ऐसे चित्रों का पता लगाने के लिए आईटी प्रणाली की विफलता को इंगित करता है।

- बीओसीडब्ल्यू के पंजीकरण के नवीकरण के मामले में, दिल्ली अखिल भारतीय प्रदर्शन से काफी पीछे थी, जो अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकरण के 74 *प्रतिशत* नवीकरण के प्रति केवल 7.3 *प्रतिशत* था।

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम (उपकर अधिनियम), 1996 की धारा 3 में सन्निर्माण की लागत पर उपकर के अनिवार्य उद्ग्रहण और संग्रहण का प्रावधान है और भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (सितंबर 1996) के अनुसार, नियोजक द्वारा की गई सन्निर्माण लागत का एक *प्रतिशत* उपकर के रूप में लगाया जाएगा, जिसका भुगतान बोर्ड को किया जाएगा। मार्च 2023 तक, बोर्ड ने ₹ 3,579.05 करोड़ की निधि जमा की थी।

- उपकर संग्रहकर्ताओं के अभिलेखों, जिला अभिलेखों और बोर्ड के अनुसार संग्रहित उपकर राशि के आंकड़ों में भारी अंतर था। जिला अभिलेखों और बोर्ड के अनुसार चार वर्षों के लिए उपकर के आंकड़ों में अंतर ₹ 204.95 करोड़ का था। अंतर का मिलान नहीं किया गया था।

- विभाग ने निर्धारित, संग्रहित और प्रेषित उपकर का कोई मिलान किया हुआ डेटाबेस नहीं रखा और इस प्रकार देय उपकर की राशि और उसके समय पर संग्रहण का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। उपकर का गलत निर्धारण, अल्प/जमा/वसूली के मामले देखे गए थे।
- कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय 2021-22 को छोड़कर कुल प्राप्तियों का केवल 9.53 से 11.33 *प्रतिशत* के बीच था, जब कोविड महामारी की अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू को अनुग्रह भुगतान किया गया था।
- 2019-20 से 2022-23 के दौरान 17 में से केवल 12 योजनाओं के अंतर्गत ही हितलाभ प्रदान किए गए थे क्योंकि पांच योजनाओं, अर्थात गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता, घर की खरीद या निर्माण के लिए अग्रिम, कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण, कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान और बीमा पॉलिसी, में कोई व्यय नहीं किया गया था।
- वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सन्निर्माण कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता राशि ₹ 46.08 करोड़ थी जिसे 58,998 विद्यार्थियों में वितरित किया जाना था, इस राशि को केवल मार्च 2022 में बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय को जारी किया गया था। अनुवर्ती वर्षों से संबंधित हितलाभ का सितंबर 2023 तक भुगतान किया जाना शेष था। विभिन्न योजनाओं से संबंधित 4,017 दावों में से 134 में वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने में 1,423 दिनों तक का विलंब था।
- भारत सरकार द्वारा राज्यों को सलाह दिए जाने (अक्टूबर 2018) के बावजूद कि वे बीओसी कर्मकारों को काम मिलने तक पारगमन आवास/श्रम शेड - सह- रात्रि आश्रय, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेश की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं, बोर्ड ने दिल्ली में इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
- बोर्ड ने 2019-20 में 350 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा बीओसी कर्मकारों और उनके आश्रितों को आगे कोई अन्य प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया था, जो उन्हें अपने कौशल को उन्नत करने या नए कौशल प्राप्त करने में विविधता लाने में मदद कर सके।

- बोर्ड ने जून 2019 में भारत सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी, परंतु इसे लागू नहीं किया और अभी भी दुर्घटना में मृत्यु के मामले में केवल ₹ 2 लाख और सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹ 1 लाख की सहायता प्रदान करना जारी रखा, जबकि देय राशि क्रमशः ₹ 4 लाख और ₹ 2 लाख थी।
- आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) देश भर में किसी भी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल में नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ अस्पताल में भर्ती होने के मामले में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹ 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। श्रम विभाग और बोर्ड ने इस लाभकारी योजना के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के बीओसीडब्ल्यू को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और इस प्रकार वे अधिकतम ₹ 10,000 की मामूली चिकित्सा सहायता के पात्र हैं।
- चार वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार नियोजकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग के चयनित जिलों द्वारा या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) द्वारा सन्निर्माण स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के साढ़े पांच वर्ष बाद भी दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की कोई ***सामाजिक लेखापरीक्षा*** नहीं की गई थी (अक्टूबर 2023)।

हम क्या सिफारिश करते हैं?

1. सरकार को सन्निर्माण गतिविधियों में शामिल सभी प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए सभी उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, समयबद्ध तरीके से सभी बीओसी कर्मकारों का पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए और उन पात्र कर्मकारों का उपर्युक्त अभिलेख रखना चाहिए, जिन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना है।

2. बोर्ड को संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि रा.रा.क्षे. दिल्ली में बीओसी कर्मकारों की आसानी से पहचान और पंजीकरण किया जा सके और उन सभी को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके।

3. बोर्ड को अपनी पंजीकरण प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए अपने एप्लिकेशन की सुरक्षा संपरीक्षा कराने की आवश्यकता है तथा अपने विभिन्न डाटाबेस के प्रमाणीकरण और समन्वय में अधिक सक्रियता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह उसके मूल कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है।

4. सरकार को सभी उपकर संग्रहणों के लिए ऑनलाइन भुगतान मार्ग का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक समय में उपकर प्राप्त हो सके, इसके अतिरिक्त भवन नक्शा-अनुमोदन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास पड़े उपकर का भुगतान बिना विलंब के किया जा सके।

5. एक मज़बूत समाधान तंत्र, अधिमानतः ऑनलाइन, विकसित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बकाया राशि संग्रहित की जा रही हैं और उसका सही हिसाब रखा जा रहा है।

6. सन्निर्माण कार्य बंद होने पर बीओसी कर्मकारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार को एक नियमित योजना शुरू करने की आवश्यकता है और पंजीकृत स्थानांतरित बीओसी कर्मकारों से संबंधित डेटा की अंतर-राज्यीय सुवाहयता की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

7. बोर्ड को निर्धारित समयसीमा का पालन करना होगा ताकि बीओसी कर्मकारों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

8. बोर्ड को रा.रा.क्षे.दि. में रहने वाले बीओसीडब्ल्यू के कल्याण के लिए भारत सरकार के विभिन्न निर्देशों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि उनकी जीवन-निर्वाह स्थितियों में सुधार हो सके।

9. बोर्ड को नियमित अंतराल पर बैठक करनी चाहिए ताकि मार्गदर्शन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के कार्य और उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निभाए जा रहे हैं।
10. सरकार अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मज़बूत करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा भी प्रारंभ कर सकती है।

अध्याय-1

परिचय

श्रम विभाग

'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 1: परिचय

सन्निर्माण कर्मकार असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक हैं। उपकर की उगाही/संग्रहण के माध्यम से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों (बीओसीडब्ल्यू) को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार (भा.स.) ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 [बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996] और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम (उपकर अधिनियम), 1996 (बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर अधिनियम, 1996) बनाए और 1998 में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली (उपकर नियमावली) भी बनाई। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2002 (डीबीओसीडब्ल्यू नियमावली) को अधिसूचित किया (जनवरी 2002) और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बीओसी कर्मकारों को विभिन्न सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने हेतु सितंबर 2002 में दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया।

उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 में सन्निर्माण की लागत पर उपकर की अनिवार्य उगाही और संग्रहण का प्रावधान है और भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (सितंबर 1996) के अनुसार, नियोजक द्वारा किए गए सन्निर्माण की लागत का एक *प्रतिशत* उपकर लगाया जाएगा, जिसका भुगतान बोर्ड को किया जाएगा। मार्च 2023 तक, बोर्ड ने उपकर की उगाही, बीओसीडब्ल्यू से प्राप्त पंजीकरण शुल्क और उस पर अर्जित ब्याज से ₹ 3,579.05 करोड़ का संचय कर लिया था।

लेखापरीक्षा को प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान सन्निर्माण गतिविधियों में लगे कुल 769 प्रतिष्ठान[1] श्रम विभाग के साथ

[1] प्रतिष्ठान से तात्पर्य सरकार, किसी व्यक्ति, निगम या फर्म, किसी व्यक्ति या संघ या व्यक्तियों के अन्य निकाय से संबंधित या उसके नियंत्रण में आने वाले किसी प्रतिष्ठान से है जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में भवन कर्मकारों को नियोजित करता है, और इसमें संविदाकार से संबंधित प्रतिष्ठान शामिल है, किंतु इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो अपने निवास के संबंध में किसी भवन या सन्निर्माण कार्य में ऐसे कर्मकारों को नियोजित करता है, ऐसे निर्माण की कुल लागत ₹10 लाख से अधिक नहीं है।

पंजीकृत थे, जबकि मई 2023 तक बोर्ड के साथ पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों की कुल संख्या 12.90 लाख थी। बीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2022 के नियम 266 (1) के अनुसार, 18 से 60 वर्ष की आयु के प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार, जो किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी भी कल्याण निधि का सदस्य नहीं था और राज्य में एक सन्निर्माण कर्मकार के रूप में पिछले बारह महीनों के दौरान नब्बे दिनों की सेवा अवधि पूरी कर चुका था, अपेक्षित शुल्क[2] का भुगतान करने के बाद लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हो सकता है। इसके अलावा, कर्मकारों को हर वर्ष अपने पंजीकरण को नवीकृत करने की आवश्यकता होती है क्योंकि लाभ केवल उन बीओसी कर्मकारों को उपलब्ध हैं जो पंजीकृत हैं और हर वर्ष अपना पंजीकरण नवीकृत करते हैं। बोर्ड पंजीकृत बीओसी कर्मकारों के कल्याण के लिए 17 योजनाओं[3] को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

1.1 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर, आयुक्त (श्रम) की अध्यक्षता में श्रम विभाग प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, 'श्रम कल्याण उपकर (उपकर)' के संग्रहण और निर्धारण तथा प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर, उप श्रम आयुक्तों को निर्धारण अधिकारी तथा श्रम अधिकारियों और निरीक्षण अधिकारियों को उपकर संग्रहकर्ता के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार, प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए सहायक श्रम आयुक्तों को पंजीकरण अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड), श्रम विभाग के प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में करते हैं तथा यह निधियों के प्रशासन एवं निवेश, लाभार्थियों के रूप में कर्मकारों का पंजीकरण, योजनाओं का निर्माण तथा लाभार्थियों को हितलाभ के अंतिम वितरण के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड सचिव के अधीन कार्य करता है तथा इसके कार्यों में उप सचिवों और अनुभाग अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती

---

2 पंजीकरण शुल्क ₹ 5 और एक वर्ष के लिए सदस्यता शुल्क ₹ 20

3 (1) प्रसूति हितलाभ (2) पेंशन हितलाभ (3) घर खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम (4) अशक्तता पेंशन (5) काम से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (6) काम से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान (7) अंतिम संस्कार सहायता के लिए भुगतान (8) मृत्यु हितलाभ (9) चिकित्सा सहायता (10) शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (11) विवाह के लिए वित्तीय सहायता (12) परिवार पेंशन (13) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और कौशल विकास के लिए अकादमी का निर्माण (14) यात्रा पास (डीटीसी) के लिए वित्तीय सहायता (15) बीमा पॉलिसी (16) गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता और (17) स्थायी अशक्तता के मामले में अनुग्रह राशि।

है। सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण के लिए उप सचिवों और अनुभाग अधिकारियों को क्रमशः पंजीकरण और नवीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **चार्ट 1.1** में दिया गया है।

चार्ट 1.1: संगठनात्मक चार्ट

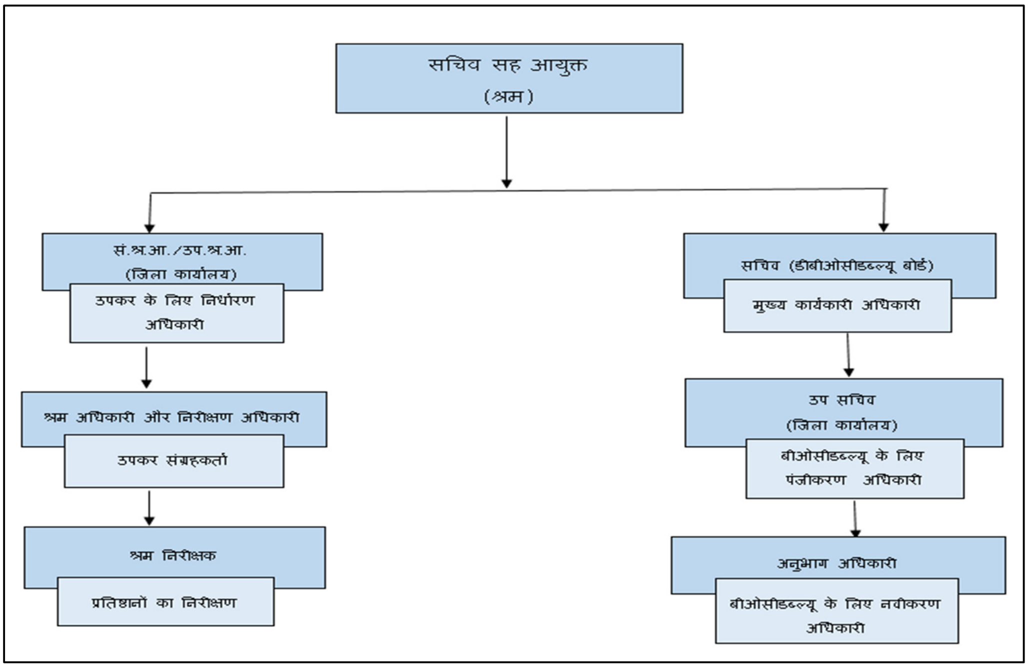

श्रम आयुक्त कार्यालय रा.रा.क्षे.दि.स. ने 16 अगस्त 2005 को एक आदेश जारी कर सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों को निर्देश दिया कि वे संविदाकारों को भुगतान करते समय बिलों से निविदा अधिसूचना के अनुसार स्वीकृत सन्निर्माण लागत की राशि का एक *प्रतिशत* 'श्रम उपकर' के रूप में जमा करें। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर संशोधित दिल्ली बीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2002 में पंजीकृत कर्मकारों से ₹ 5 का एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और ₹ 20 का वार्षिक सदस्यता शुल्क वसूलने का प्रावधान है।

दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कामकाज पर एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदन (2021 का प्रतिवेदन सं.1) में शामिल किया गया था। मार्च 2019 को समाप्त पिछले सीएजी प्रतिवेदन में बताई गई अधिकांश कमियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसा कि इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुवर्ती पैराग्राफों में देखा जा सकता है।

1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित का आकलन करना था:

- क्या प्रतिष्ठानों और लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए कोई प्रभावी प्रणाली थी;
- क्या उपकर का निर्धारण एवं संग्रहण कार्यक्षम था;
- क्या उपकर निधि का प्रशासन प्रभावी था और क्या वह संगत अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार था;
- क्या उपकर निधि का उपयोग विशेष रूप से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा नियमों/अधिनियमों के अनुसार किया गया था।

1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

जिन मानदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मानकीकृत किया गया, वे निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996;
- दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2002;
- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 और उपकर नियमावली, 1998;
- समय-समय पर बोर्ड की बैठकों में पारित संकल्प; और
- भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा जारी आदेश और दिशा-निर्देश।

1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अंतर्गत 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों' के कल्याण की लेखापरीक्षा श्रम विभाग, दिल्ली; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से अप्रैल 2023 और नवंबर 2023 के बीच किया गया था।

नौ जिलों में से दो जिलों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई, जिसमें दक्षिण जिला सबसे अधिक उपकर संग्रहण करने वाला जिला था और उत्तर पश्चिम जिला सबसे अधिक पंजीकृत कर्मकारों वाला जिला था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए दो चयनित जिलों (दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिले) से पंद्रह *प्रतिशत* पंजीकृत प्रतिष्ठानों और निर्धारण आदेशों का चयन किया गया। प्रमुख उपकर संग्रहकर्ता विभाग[4] होने के नाते पांच विभागों के तेरह प्रभागों का चयन प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग करके किया गया। वित्तीय सहायता की मात्रा के आधार पर दस कल्याणकारी योजनाओं का चयन किया गया (शीर्ष 5, मध्यम वाली 3 और नगण्य वित्तीय सहायता वाली 2), साथ ही प्रत्येक जिले से 150 लाभार्थियों को 'एसआरएसडब्ल्यूओआर' पद्धति का उपयोग करके इस निष्पादन लेखापरीक्षा में चुना गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की जांच, दस्तावेज़ विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्न और अंतिम उपयोगकर्ता संतुष्टि के लिए चयनित लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण शामिल था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया।

28 अप्रैल 2023 को बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंडों, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई। लेखापरीक्षा समाप्त होने पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 27 फरवरी 2025 को हितधारकों के साथ एक निकास सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सरकार से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.5 आभार

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा के सुचारु संचालन में सहायता के लिए संबंधित विभागों और इसके क्षेत्रीय पदधारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।

[4] लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड।

अध्याय-2
प्रतिष्ठानों और सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण

अध्याय 2

प्रतिष्ठानों और सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अनुसार सन्निर्माण गतिविधियों में लगे प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जो सन्निर्माण गतिविधियों में दस या उससे अधिक कर्मकारों को रोज़गार देता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, जो प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं है, वह भवन सन्निर्माण कर्मकारों को रोज़गार नहीं देगा।
- सन्निर्माण गतिविधियों में लगे ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान और पंजीकरण, यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है कि इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) पंजीकृत हों और उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने से संबंधित बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पास दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू की संख्या से संबंधित कोई विश्वसनीय डेटा नहीं था।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि दक्षिण और उत्तर पश्चिम के चयनित जिलों में से अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच उपकर जमा करने वाले 97 निजी प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं थे। इसी प्रकार, दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सन्निर्माण में लगे 25 प्रतिष्ठान भी पंजीकृत नहीं पाए गए। यह स्पष्ट रूप से बोर्ड की ओर से पात्र प्रतिष्ठानों की पहचान करने और उन्हें पंजीकृत करने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करने में ढिलाई को दर्शाता है।
- बोर्ड अपने साथ पंजीकृत बताए गए 6.96 लाख बीओसी कर्मकारों में से केवल 1.98 लाख का ही पूरा डेटाबेस उपलब्ध करा सका। 1.98 लाख

लाभार्थियों में से, जिनके लिए लेखापरीक्षा को चित्र उपलब्ध कराए गए थे, 1.19 लाख लाभार्थियों को 2.38 लाख चित्रों के साथ जोड़ा गया था, यानी प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक से अधिक चित्र।

- डुप्लिकेट चित्र, बिना चेहरे वाले चित्र और एक ही चेहरे के कई पंजीकरणों की उपलब्धता पंजीकरण प्रक्रिया में कई कमियों को दर्शाती है। चूंकि एक मज़बूत कंप्यूटर ऐल्गोरिदम को प्रत्येक चित्र में बिल्कुल एक चेहरे की आवश्यकता होगी, इसलिए यह पंजीकरण के दौरान ऐसे चित्रों का पता लगाने में आईटी प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।
- बीओसीडब्ल्यू के पंजीकरण के नवीकरण के मामले में, दिल्ली अखिल भारतीय प्रदर्शन से काफी पीछे है, जहां मात्र 7.3 *प्रतिशत* पंजीकरण का नवीकरण किया गया, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 74 *प्रतिशत* है।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए उस तिथि से साठ दिनों के अंदर, जिस दिन अधिनियम उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है, आवेदन करना होता है, जो सन्निर्माण गतिविधियों में दस या अधिक कर्मकारों को रोज़गार देता है। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, जो प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं है, उसे प्रतिष्ठान में भवन सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जिले में श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्तों को प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान सन्निर्माण गतिविधियों में लगे कुल 769 प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग के साथ पंजीकृत किया गया, जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: पंजीकृत प्रतिष्ठानों और बीओसीडब्ल्यू की संख्या

वर्ष	पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	पंजीकृत/पंजीकरण नवीकृत बीओसीडब्ल्यू की संख्या
2019-20	194	51,398
2020-21	165	2,29,022
2021-22	172	11,03,552
2022-23	238	1,96,590

चार्ट 2.1: पंजीकृत प्रतिष्ठानों और बीओसीडब्ल्यू की संख्या

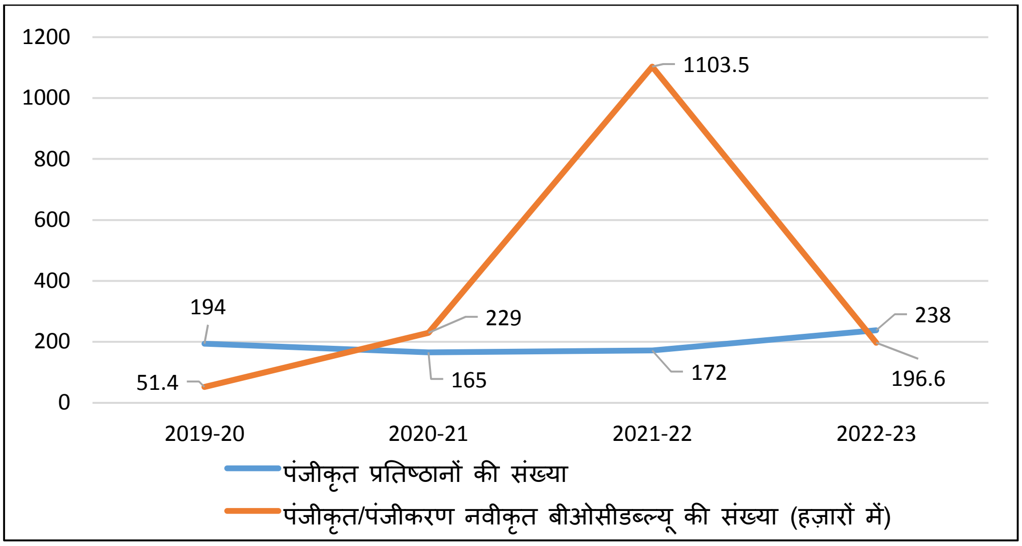

स्रोत: श्रम विभाग एवं बोर्ड द्वारा दी गई सूचना

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 में, केवल 0.51 लाख बीओसी कर्मकार पंजीकृत थे। पंजीकृत बीओसी कर्मकारों की संख्या 2021-22 में 382 *प्रतिशत* की तीव्र वृद्धि के साथ 11.03 लाख हो गई। इसके बाद के वर्ष 2022-23 में इसमें 82 *प्रतिशत* की गिरावट आई और केवल 1.97 लाख बीओसी कर्मकार पंजीकृत हुए। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए बीओसी कर्मकारों के पंजीकरण/नवीकरण के उपर्युक्त आंकड़े, आंकड़ों में अत्यधिक घट-बढ़ के कारण वास्तविक/विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते।

बोर्ड ने अपने उत्तर में कहा कि अधिनियम अपने आप से पंजीकरण की अनुमति नहीं देता है और इसलिए पंजीकरण के लिए पात्र और इच्छुक कर्मकारों द्वारा आवेदन करना आवश्यक है। उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि बीओसीडब्ल्यू के बीच जागरूकता उत्पन्न करना भी बोर्ड की जिम्मेदारी थी और जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविर आयोजित करने के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों (नवंबर 2018) के बावजूद, 2019-20 से 2022-23 तक चार वर्षों में केवल दो बार[1] शिविर आयोजित किए गए।

प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में पाई गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

[1] 24.8.2020 से 11.9.2020 तक 70 स्थानों पर और 15.2.2021 से 15.3.2021 तक 45 स्थानों पर।

2.1 प्रतिष्ठानों की पहचान में कमियां

सन्निर्माण गतिविधियों में लगे प्रतिष्ठानों की पहचान और पंजीकरण यह सुनिश्चित करने का पहला कदम है कि इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकार पंजीकृत हों और बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस प्रकार, अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों का एक विश्वसनीय डाटा बेस और इसे नियमित रूप से अद्यतित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र, बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

(i) सन्निर्माण गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठानों की वास्तविक संख्या से संबंधित डेटा की अनुपस्थिति का मुद्दा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले प्रतिवेदन (2021 का प्रतिवेदन संख्या 1) के पैरा 3.2.9.1 में उल्लिखित किया गया था। तथापि, विभाग के पास उपलब्ध डेटा अपूर्ण है और यह पंजीकरण के आवेदन के लिए मुख्य रूप से प्रतिष्ठानों के मालिकों पर निर्भर करता है। विभाग ने एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में कहा (सितंबर 2023) कि उसके पास अपेक्षित जानकारी नहीं है।

(ii) यह देखा गया कि उपकर संग्रहकर्ता, सचिव (श्रम) द्वारा उपकर जमा करने वालों के संबंध में निर्देशित जिला मास्टर रजिस्टर (डीएमआर) का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे थे, जिसमें नियोजक का नाम और पता, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भवन नक्शे की मंज़ूरी की संख्या और तिथि, सन्निर्माण स्थल का पता आदि जानकारी भरी जानी थी। उत्तर पश्चिम जिले ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि प्रोफार्मा के अनुसार डीएमआर का ठीक से रखरखाव किया जा रहा है परंतु लेखापरीक्षा जांच से इसके विपरीत पता चला।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड ने उपकर जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और इसलिए भौतिक अभिलेख रखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि डीएमआर न केवल जमा किए गए उपकर के बारे में जानकारी प्रदान करता है बल्कि यह भी अभिनिश्चित करने में सुविधा प्रदान करता है कि वर्ष के दौरान कितने निर्धारण किए गए और उनके प्रति कितने

उपकर जमा किए गए। इसके अतिरिक्त, उपकर ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया गया था।

(iii) ऐसे विभिन्न स्रोत हैं जहां से सन्निर्माण में लगे प्रतिष्ठानों का विवरण प्राप्त किया जा सकता है और आंकड़ों की दुतरफा पड़ताल भी की जा सकती है, जैसे सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों द्वारा शुरू की गई/शुरू की जाने वाली परियोजनाएं (इन संगठनों द्वारा सचिव (बोर्ड) को तिमाही समेकित रिपोर्ट भेजी जानी थी), स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित भवन नक्शे (श्रम अधिकारियों और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्र किए जाने थे, जिन्हें उपकर संग्रहकर्ता के रूप में अधिसूचित किया गया है), निजी प्रतिष्ठान जिन्होंने जिला कार्यालयों में उपकर जमा किया और स्थानीय एसएचओ द्वारा अनुरक्षित और दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध सन्निर्माण गतिविधियों का विवरण।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार ने प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए इनमें से किसी भी स्रोत का उपयोग नहीं किया। नमूना जांच किए गए दक्षिण और उत्तर-पश्चिम जिलों में इसकी पुष्टि की गई, जहां अप्रैल 2019 से मार्च 2023 के बीच उपकर जमा करने वाले 97 निजी प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं पाए गए। इसी प्रकार, दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार सन्निर्माण में लगे 25 प्रतिष्ठान भी पंजीकृत नहीं पाए गए।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि एमसीडी, उनके द्वारा स्वीकृत भवन नक्शों का डेटा श्रम विभाग के संबंधित उपकर संग्रहकर्ता के साथ साझा कर रही थी। स्थानीय एसएचओ द्वारा अनुरक्षित सन्निर्माण गतिविधियों के विवरण के बारे में, यह कहा गया कि कार्यालय आदेश अनावश्यक था क्योंकि एमसीडी अनुमोदित भवन नक्शों के बारे में जानकारी उपकर संग्रहकर्ताओं को भेज रही थी और उपकर संग्रहकर्ताओं को एसएचओ से जानकारी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जहां तक उपकर जमा करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण न करने का संबंध है, यह सूचित किया गया कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केंद्रीय कार्यालय)

द्वारा पंजीकृत किया जाता है, तथापि, उपकर केवल राज्य के बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड के पास जमा किया जाता है। तथापि, उत्तर से कोई आश्वासन नहीं प्राप्त होता है कि सन्निर्माण कार्यों में लगे सभी प्रतिष्ठानों की पहचान और पंजीकरण कर लिया गया है।

2.2 प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में कमियां

दिल्ली बीओसीडब्ल्यू (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2002 के अनुसार पंजीकरण अधिकारियों को फॉर्म III में एक रजिस्टर बनाना था, जिसमें पंजीकृत प्रतिष्ठानों का विवरण दिखाया जाना था। तथापि, दक्षिण जिले द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर नहीं रखा जा रहा था। इस प्रकार, जिन प्रतिष्ठानों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, उन पर नज़र रखने के लिए विद्यमान प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 की धारा 7 के तहत प्रतिष्ठानों का पंजीकरण ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है, जिसमें सभी पंजीकरणों का विवरण होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने लेखापरीक्षा के दौरान या उत्तर के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए ऑनलाइन अभिलेख साझा नहीं किए।

प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और उनके अभिलेखों के रखरखाव की प्रक्रिया में देखी गई अन्य कमियां इस प्रकार हैं:

(i) ई-डिस्ट्रिक्ट एक वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। प्रतिष्ठान और बीओसीडब्ल्यू इस पोर्टल के माध्यम से भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम जिले के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि नमूना जांच किए गए 24 में से 23 प्रतिष्ठानों (2019-23 के दौरान कुल 152 पंजीकृत थे) में पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे, इस तथ्य के बावजूद कि बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम के अनुसार अनिवार्य दस्तावेज[2] अपलोड नहीं किए गए थे। जिला

[2] फॉर्म IV [नियम 26(3)] में प्रारंभ की सूचना की प्रति, कंपनी/फर्म के मामले में ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के संबंध में स्व-घोषणा/वचनपत्र, और संविदाकार द्वारा सन्निर्माण के मामले में मालिक/पीई के साथ संविदाकार समझौता, साथ ही आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति के पक्ष में बोर्ड के संकल्प का अनुमोदन।

कार्यालय ने कहा (नवंबर 2023) कि भविष्य में, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते समय अपलोड किए गए सभी अनिवार्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

अपने उत्तर (मार्च 2025) में सरकार ने इस त्रुटि के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सर्वर और स्पेस की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया। इसने आगे कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पर्याप्त दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए अधिक स्पेस उपलब्ध कराने का मुद्दा विभाग के आईटी सेल के साथ उठाया जा रहा था।

(ii) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार, नियोजक को श्रम विभाग के निरीक्षक को एक नोटिस भेजना आवश्यक था जिसमें सन्निर्माण स्थल, नियोजित किए जाने वाले संभावित कर्मकारों की संख्या तथा किए जाने वाले सन्निर्माण कार्यों का विवरण, नया कार्य शुरू करने से कम से कम तीस दिन पहले देना होता था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान के लिए अधिनियम के लागू होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के अंदर अपने प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन करना था। नियमों के अनुसार इसका पालन न करने पर प्रति मामला ₹ 2,000 का जुर्माना लगता है।

उत्तर पश्चिम जिला, 2019-23 के दौरान नियोजकों द्वारा प्रस्तुत कार्य प्रारंभ करने की सूचना से संबंधित जानकारी प्रदान करने में विफल रहा। दक्षिण जिले में, 47 में से 44 नियोजक जिनके संबंध में अधिकारी द्वारा निर्धारण किया गया था और 75 निजी अपंजीकृत प्रतिष्ठान जिनसे इन्हें उपकर प्राप्त हुआ था, ने कार्य प्रारंभ सूचना नहीं दी, परंतु जिले ने इन नियोजकों पर ₹ 2.38 लाख (प्रत्येक मामले में ₹ 2,000) का कुल जुर्माना नहीं लगाया।

दक्षिण जिले ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2023) कि भविष्य में निर्धारण के समय संबंधित प्रतिष्ठान से कार्य प्रारंभ होने का विवरण मांगा जाएगा। कार्य प्रारंभ होने से संबंधित जानकारी न देने का मुद्दा सीएजी के पिछले प्रतिवेदन में भी उठाया गया था (पैरा 3.2.9.3)।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि नियोजक द्वारा सूचना न दिए जाने की स्थिति में, निरीक्षक को सन्निर्माण के मुख्य निरीक्षक की अनुमति प्राप्त करने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (दंड लगाने के लिए अधिकार प्राप्त) के समक्ष लोक अभियोजक के माध्यम से मुकदमा दायर करना होगा, जो एक बहुत ही

धीमी प्रक्रिया है, जिसके लिए जनशक्ति की आवश्यकता होती है और लोक अभियोजक द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान आगे बढ़ाना होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को चूक के ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने में सक्रिय होने की आवश्यकता है।

(iii) डीबीओसीडब्ल्यू नियमावली में प्रावधान है कि पंजीकरण अधिकारी प्रतिष्ठान को पंजीकृत करेगा और आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के अंदर आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। लेखापरीक्षा में जांचे गए 42 में से 20 (48 *प्रतिशत*) मामलों में प्रमाणपत्र जारी करने में 4 से 143 दिनों तक की देरी पाई गई। पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में देरी को सीएजी के पिछले प्रतिवेदन (पैरा 3.2.9.2) में भी चिह्नित किया गया था।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि आवेदन में दस्तावेज़ों की कमी या सूचना संबंधी त्रुटि के मामले में, संबंधित पंजीकरण अधिकारी द्वारा आपत्तियां उठाई जाती हैं और कुछ मामलों में, आवेदक के पास यह लंबित रह जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण प्रमाणपत्र देने में देरी होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में विशिष्ट मामलों की ओर इंगित किया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में देखे गए 96 *प्रतिशत* मामलों में, पंजीकरण प्रमाणपत्र, वास्तव में, अनिवार्य दस्तावेज़ों के बिना भी जारी किए जा रहे थे।

सिफारिश 1: सरकार को सन्निर्माण गतिविधियों में शामिल सभी प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए सभी उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, समयबद्ध तरीके से सभी बीओसी कर्मकारों का पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए और उन पात्र कर्मकारों का उपयुक्त अभिलेख रखना चाहिए, जिन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना है।

2.3 सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान और पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2022 के नियम 266 (1) में प्रावधान है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार को, उसमें उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन, अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कर्मकारों को हर वर्ष अपने पंजीकरण का नवीकरण कराना होगा। चूंकि हितलाभ केवल उन बीओसीडब्ल्यू

को ही मिलते हैं जो पंजीकृत हैं और हर वर्ष पंजीकरण का नवीकरण कराते हैं, ऐसा न करने पर वे बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ के लिए अपात्र हो जाते हैं।

सरकार के पास दिल्ली के बीओसीडब्ल्यू की संख्या से संबंधित कोई डेटा नहीं था। सभी सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान के लिए तंत्र के अभाव के मुद्दे को मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी के पिछले प्रतिवेदन में उठाया गया था। तथापि, विभाग दिल्ली के सभी सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र विकसित करने में विफल रहा।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है और सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या किसी भी निश्चित समय पर तय नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ लोग सन्निर्माण कर्मकार बने नहीं रह सकते। इसलिए, आगे यह भी कहा गया कि पंजीकरण/नवीकरण की प्रक्रिया को कर्मकार द्वारा स्व-प्रमाणन के साथ-साथ टेली-सत्यापन की शुरुआत करके सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड जागरूकता शिविर भी चलाता है, बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने के हितलाभों के बारे में कर्मकार चौकों पर पैम्फलेट का वितरण, डिस्प्ले बैनर आदि लगाकर करता है।

जागरूकता शिविर आदि शुरू करने के बारे में सरकार का तर्क भी विभाग द्वारा की गई जागरूकता गतिविधियों में कमियों के मद्देनजर मान्य नहीं है, जैसा कि इस प्रतिवेदन में आगे बताया गया है। इसके अतिरिक्त, सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान के मुद्दे पर उत्तर मौन है।

दिल्ली में सभी बीओसीडब्ल्यू की पहचान और पंजीकरण में कमियां निम्नानुसार थीं:

(i) सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी सहायक अभियंताओं (एई) को पंजीकरण अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था ताकि वे अपनी परियोजनाओं में काम करने वाले सन्निर्माण कर्मकारों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर सकें। तथापि, सन्निर्माण कार्यों में लगे विभिन्न विभागों के चयनित 13 प्रभागों के सहायक

अभियंताओं के माध्यम से बोर्ड में कोई भी सन्निर्माण कर्मकार पंजीकृत नहीं था। विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि बोर्ड द्वारा सहायक अभियंताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान नहीं किए गए थे।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि सभी सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान और पंजीकरण का मुद्दा अगली बोर्ड बैठक में उठाया जाएगा, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सिफारिश की गई है।

(ii) अधिनियम की धारा 43 श्रम विभाग के निरीक्षक को किसी भी प्रतिष्ठान के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार देती है जहां सन्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे साइट पर कार्यरत बीओसीडब्ल्यू की पहचान करने में सुविधा होगी। यह देखा गया कि समीक्षाधीन वर्षों के दौरान चयनित जिलों में ऐसा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था, इसके बावजूद कि पिछले सीएजी प्रतिवेदन (पैरा 3.9.2.5) में इसे इंगित किया गया था। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में, सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण आदि सुनिश्चित करने के लिए सचिव (बोर्ड) द्वारा पूरी दिल्ली में सन्निर्माण स्थलों के निरीक्षण के लिए एक विशेष निरीक्षण दल का गठन किया गया था (अक्टूबर 2021)। बोर्ड ने विशेष निरीक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षणों की कुल संख्या का विवरण भी नहीं उपलब्ध कराया, तथापि उपलब्ध कराई गई पांच[3] निरीक्षण फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि संबंधित नियोजकों[4] को नोटिस जारी करने के अलावा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा संवीक्षा की अवधि के दौरान उसके द्वारा कोई केंद्रीय निरीक्षण नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि श्रम विभाग ने निरीक्षण के लिए किसी प्रतिष्ठान का यादृच्छिक चयन करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (सीआईएस) शुरू की है। इसके अतिरिक्त,

---

[3] दो निरीक्षण फाइलें पश्चिमी दिल्ली से संबंधित थीं तथा एक-एक फाइल उत्तर, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जिलों से संबंधित थी।

[4] मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ दिल्ली मेट्रो मॉल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सैम (इंडिया), गुलेरमार्क जेवी, मेसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड और मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 के तहत निरीक्षण को भी सीआईएस के अधीन लाया जा रहा है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(iii) नवंबर 2018 से कर्मकार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण/पंजीकरण का नवीकरण कर सकते थे। तथापि, नवंबर 2022 तक कुल 5.39 लाख कर्मकारों (30 सितंबर 2018 तक) में से केवल 1.39 लाख का ही डेटा वेब पोर्टल पर स्थानांतरित किया गया है। पोर्टल पर पूर्ण पंजीकरण डेटा के अभाव में, अधिकांश कर्मकार ऑनलाइन नवीकरण की सुविधा का लाभ नहीं उठा सके और इस प्रकार बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के हितलाभ से वंचित हो गए। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि विभाग तथा बोर्ड उन सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं जिन्हें योजनाओं का हितलाभ दिया जाना है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें वास्तव में ऐसे हितलाभों की आवश्यकता है। मार्च 2025 तक उत्तर प्रतीक्षित है।

सिफारिश 2: बोर्ड को संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि रा.रा.क्षे. दिल्ली में बीओसी कर्मकारों की आसानी से पहचान और उनका पंजीकरण किया जा सके, ताकि उन सभी को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके।

2.4 सन्निर्माण कर्मकारों का लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा ने बोर्ड के बारे में बीओसी कर्मकारों के बीच जागरूकता की मात्रा और इसके साथ पंजीकरण के हितलाभों का आकलन करने के लिए दो चयनित जिलों में 300 लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया। **चार्ट 2.2** लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्षों को दर्शाता है।

चार्ट 2.2: लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष

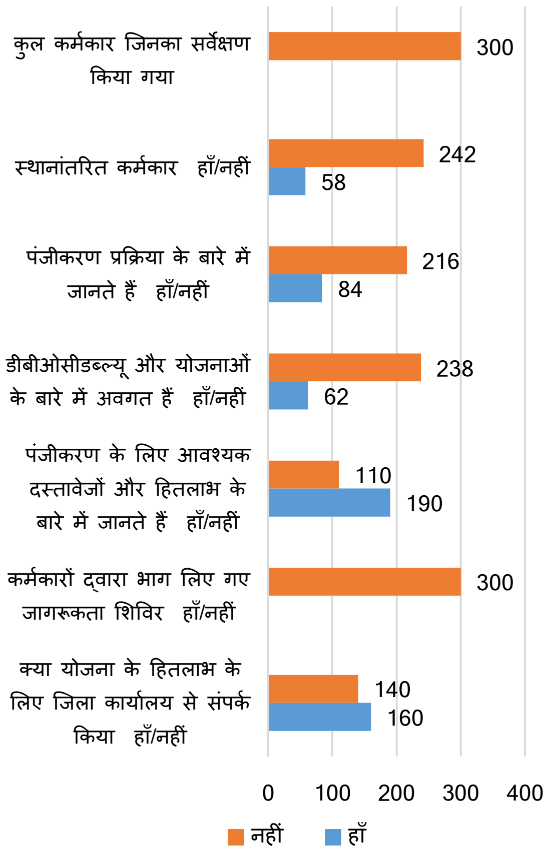

- कुल 81 *प्रतिशत* कर्मकार दिल्ली के थे, जबकि 19 *प्रतिशत* प्रवासी थे।
- 28 *प्रतिशत* कर्मकार बोर्ड और इसके सदस्य बनने की प्रक्रिया से अवगत थे, जबकि 72 *प्रतिशत ने* जागरूकता की कमी, लंबी प्रक्रिया और अनुमोदन में देरी का हवाला दिया।
- केवल 21 *प्रतिशत* कर्मकार ही बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानते थे।
- केवल 37 *प्रतिशत* कर्मकारों को पंजीकरण और हितलाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पता था।
- किसी भी लाभार्थी (सर्वेक्षण किए गए 300 में से) ने जागरूकता शिविर में भाग नहीं लिया।

47 *प्रतिशत* कर्मकारों ने बताया कि योजना हितलाभ की आवश्यकता होने पर उन्होंने जिला श्रम कार्यालय से संपर्क किया, जबकि 53 *प्रतिशत* ने बताया कि उन्होंने संघीय श्रम कार्यालयों से संपर्क किया।

उपर्युक्त तथ्य दर्शाते हैं कि बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे पंजीकरण एवं कल्याणकारी योजनाओं के हितलाभों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयास अपर्याप्त थे, जिन्हें सूचना एवं मीडिया के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके बढ़ाने की आवश्यकता है।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड ने दिल्ली के सन्निर्माण कर्मकारों के हितलाभ के लिए dbocwwb.delhi.gov.in नाम से एक वेब पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल पर सन्निर्माण कर्मकारों को उपलब्ध विभिन्न हितलाभों और पंजीकरण, नवीकरण और प्रवास की प्रक्रिया को वीडियो फुटेज के रूप में शामिल किया गया है ताकि बीओसी कर्मकारों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके। डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड बीओसी कर्मकारों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सन्निर्माण स्थलों, कर्मकार चौकों पर विभिन्न शिविरों का आयोजन भी करता है। तथापि, तथ्य यह है कि सर्वेक्षण के परिणामों से सन्निर्माण कर्मकारों के बीच बोर्ड और इसकी कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में जागरूकता की कमी का संकेत मिला।

2.5 सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण और नवीकरण के आंकड़ों में विसंगति

बोर्ड द्वारा पंजीकृत/नवीकृत पंजीकरणों की वर्ष-वार संख्या का विवरण **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3 : लाभार्थियों का पंजीकरण और नवीकरण

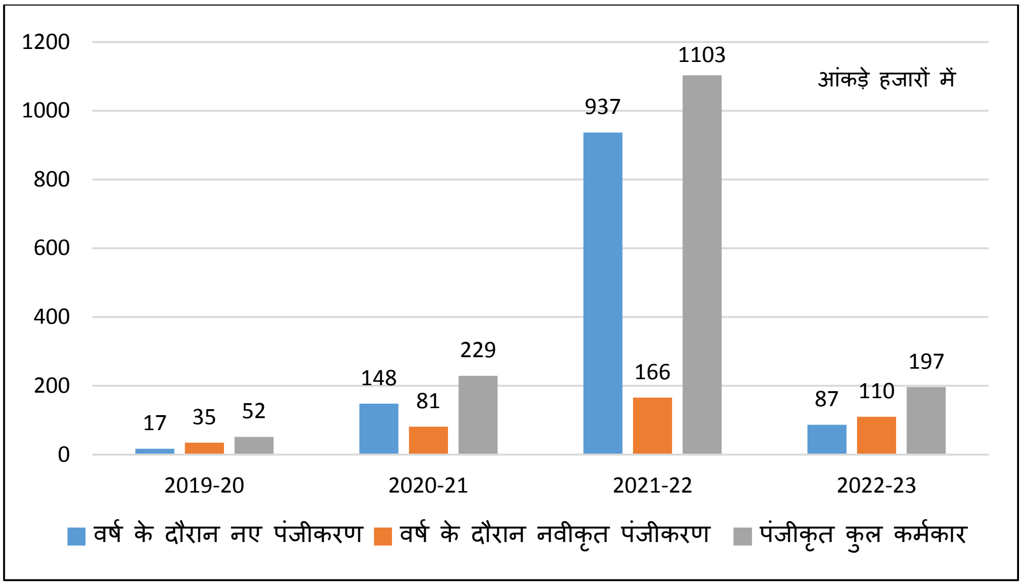

स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपर्युक्त चार्ट 2020-21 और 2022-23 के बीच बोर्ड द्वारा पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या में भिन्नता और साथ ही अनुपातहीन पंजीकरण और नवीकरण को दर्शाता है।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि पंजीकृत कर्मकारों की संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि पंजीकरण/नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है। यह भी कहा गया कि पंजीकरण/नवीकरण आवेदन आधारित है और बोर्ड विलंब शुल्क वसूल करने के बाद समाप्त अवधि के लिए भी पंजीकरण का नवीकरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के कर्मकार सीधे बोर्ड के वेब पोर्टल पर लॉग इन करके भी अपना पंजीकरण नवीकृत कर सकते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें 2021-22 में पंजीकरण में उल्लेखनीय उछाल के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर बोर्ड के साथ पंजीकृत और नवीकृत बीओसीडब्ल्यू की संख्या संबंधी आंकड़ों और बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी में अंतर पाया। विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: बीओसीडब्ल्यू द्वारा पंजीकरण और पंजीकरण के नवीकरण के आंकड़ों में अंतर

नया पंजीकरण				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बोर्ड के अनुसार आंकड़े	16,858	1,47,998	9,37,285	86,999
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार आंकड़े	42,728	1,89,541	9,95,556	93,848
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े	42,672	1,47,803	9,13,537	तैयार नहीं किया गया
नवीकरण				
बोर्ड के अनुसार आंकड़े	34,540	81,024	1,66,267	1,09,591
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार आंकड़े	25,343	41,487	58,345	1,04,078
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े	9,171	80,939	1,64,814	तैयार नहीं किया गया

इस प्रकार, बीओसीडब्ल्यू के कल्याण से संबंधित प्राधिकारियों के पास उपलब्ध लाभार्थी आंकड़ों की सत्यता संदिग्ध/अविश्वसनीय है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने बोर्ड से लाभार्थियों का डंप डेटा प्राप्त किया (जुलाई 2023)। लाभार्थियों के डेटाबेस के चित्र विश्लेषण से निम्नलिखित अतिरिक्त विसंगतियां सामने आईं:

(क) इस तथ्य के बावजूद कि ऑनलाइन पंजीकरण और नवीकरण को आधार सत्यापित बताया गया था, बोर्ड अपने साथ पंजीकृत बताए गए 6.96 लाख पंजीकृत बीओसी कर्मकारों में से केवल 1.98 लाख का ही पूर्ण डाटाबेस (इमेज लिंक और चित्रों सहित) उपलब्ध करा सका।

(ख) 1.98 लाख लाभार्थियों में से, जिनके चित्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, 1.19 लाख लाभार्थियों को 2.38 लाख चित्रों के साथ जोड़ा गया था, अर्थात प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक से अधिक चित्र।

(ग) डेटाबेस में 45 चित्र 97 कर्मकारों से जुड़े थे, अर्थात एक चित्र एक से अधिक लाभार्थियों से जुड़ा था।

(घ) 1.98 लाख चित्रों में से 29,453 (14.8 *प्रतिशत*) में या तो अनेक (कई) चेहरे उपलब्ध थे, या कोई चेहरा उपलब्ध नहीं था। चूंकि एक मज़बूत कंप्यूटर ऐल्गोरिदम को प्रत्येक चित्र में ठीक एक चेहरे की आवश्यकता होगी, यह पंजीकरण के दौरान ऐसे चित्रों का पता लगाने में आईटी प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।

(ड.) लेखापरीक्षा ने 20 *प्रतिशत* अवसीमा (चेहरे के सादृश्य की संभावना 80-100 *प्रतिशत* के बीच) और साथ ही 30 *प्रतिशत* अवसीमा का उपयोग करके इमेज युनिवर्स (1.69 लाख चित्र/चेहरे) में चेहरों का मिलान किया। यह पाया गया कि 0.20 अवसीमा पर 3,116 चित्रों में 1,440 चेहरे दिखाई दिए और 0.30 *प्रतिशत* अवसीमा पर 5,595 चित्रों में 2,495 चेहरे दिखाई दिए, जो यह दर्शाता है कि एक ही चित्र का कई बार उपयोग किया गया था।

डुप्लिकेट चित्र, बिना चेहरे वाले चित्र और एक ही चेहरे के एक से अधिक पंजीकरण की उपलब्धता लाभार्थियों के पंजीकरण में कई खामियों की ओर इंगित करती है और कमज़ोर आईटी प्रोटोकॉल को भी दर्शाती है।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि पूरा डाटाबेस उपलब्ध था और यदि आवश्यक हो तो इसे सीएजी लेखापरीक्षा टीम को प्रदान किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डेटा डाउनलोड करने और लिंक बनाने के मुद्दे से संबंधित विसंगतियों को अब ठीक कर दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि सुधारात्मक उपाय के रूप में, बोर्ड के नए पोर्टल में स्थानांतरण और नए पंजीकरण के समय प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार का वीडियो अनिवार्य किया जा रहा था। तथ्य यह है कि विभाग लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए पूर्ण और विश्वसनीय डेटाबेस प्रदान करने में विफल रहा।

सिफारिश 3: बोर्ड को अपनी पंजीकरण प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए अपने एप्लिकेशन की सुरक्षा संपरीक्षा कराने की आवश्यकता है तथा अपने विभिन्न डाटाबेस के प्रमाणीकरण और समन्वय में अधिक सक्रियता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि यह उसके मूल कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है।

अध्याय-3

उपकर का निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण

अध्याय 3

उपकर का निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम (उपकर अधिनियम), 1996 की धारा 3 में सन्निर्माण की लागत पर उपकर के अनिवार्य उद्ग्रहण एवं संग्रहण का प्रावधान है तथा भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (सितंबर 1996) के अनुसार, नियोजक द्वारा सन्निर्माण पर की गई लागत का एक *प्रतिशत* उपकर लगाया जाएगा, जिसका भुगतान बोर्ड को किया जाएगा। मार्च 2023 तक बोर्ड के पास ₹ 3,579.05 करोड़ की धनराशि संचित थी।
- उपकर संग्रहकर्ताओं के अभिलेखों, जिला अभिलेखों और बोर्ड के अनुसार संग्रहित उपकर राशि के आंकड़ों में भारी अंतर था। जिला अभिलेखों और बोर्ड के अनुसार चार वर्षों के लिए उपकर के आंकड़ों में ₹ 204.95 करोड़ का अंतर था। अंतर का मिलान नहीं किया गया था।
- विभाग ने निर्धारित, संग्रहित और प्रेषित उपकर का मिलान किया हुआ डेटाबेस नहीं रखा और इस प्रकार देय उपकर की राशि और उसके समय पर संग्रहण का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। उपकर का गलत निर्धारण, अल्प/जमा/वसूली के मामले देखे गए।

16 अगस्त 2005 को रा.रा.क्षे.दि.स. के श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों को निर्देश दिया गया था कि वे निविदा अधिसूचना के अनुसार स्वीकृत सन्निर्माण लागत की राशि का एक *प्रतिशत* बिलों से श्रम उपकर के रूप में संविदाकारों को भुगतान करते समय दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) के पक्ष में खाता आदाता चेक के माध्यम से 30 दिनों के अंदर भेजें। बाद में, बोर्ड ने संग्रहण किए गए उपकर को सीधे आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से संबंधित जिले के अपने बैंक खाते में अंतरित करने के निर्देश जारी किए (नवंबर 2017)। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत

कर्मकारों से ₹ 5 का पंजीकरण शुल्क और ₹ 20 का वार्षिक सदस्यता शुल्क वसूल किए जाने थे।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जिला कार्यालयों में उपकर संग्रहकर्ताओं (श्रम विभाग के श्रम अधिकारी और निरीक्षण अधिकारी) द्वारा प्रत्येक जिले में बोर्ड के बैंक खाते में चेक, मांग ड्राफ्ट और आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से और श्रम विभाग और बोर्ड की वेबसाइटों पर इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन मोड में भी उपकर संग्रहित किया जाता था। चेक और ड्राफ्ट, उपकर संग्रहकर्ताओं द्वारा जिले में बोर्ड के कर्मचारियों को सौंप दिए जाते हैं, जो बाद में इसे बोर्ड के खाते में जमा करते हैं। निजी निर्माणों के संबंध में उपकर, स्थानीय प्राधिकरण (दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण) द्वारा भवन नक्शों के अनुमोदन के समय संग्रहित किया जाता है और बोर्ड को भेज दिया जाता है, जबकि कोई भी सन्निर्माण कार्य करने वाले सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों को संविदाकारों के बिलों से श्रम उपकर काटने और बोर्ड को भेजने की आवश्यकता होती है।

प्रतिष्ठानों द्वारा जमा किए गए उपकर के संबंध में देय उपकर का निर्धारण श्रम विभाग के आधिकारिक उप श्रम आयुक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्हें निर्धारण अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान बोर्ड द्वारा संग्रहित उपकर **तालिका 3.1** के अनुसार है।

तालिका 3.1: संग्रहित उपकर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहित उपकर
2019-20	215.47
2020-21	221.35
2021-22	244.69
2022-23	374.46
कुल	**1,055.97**

चार्ट 3.1: संग्रहित उपकर का विवरण

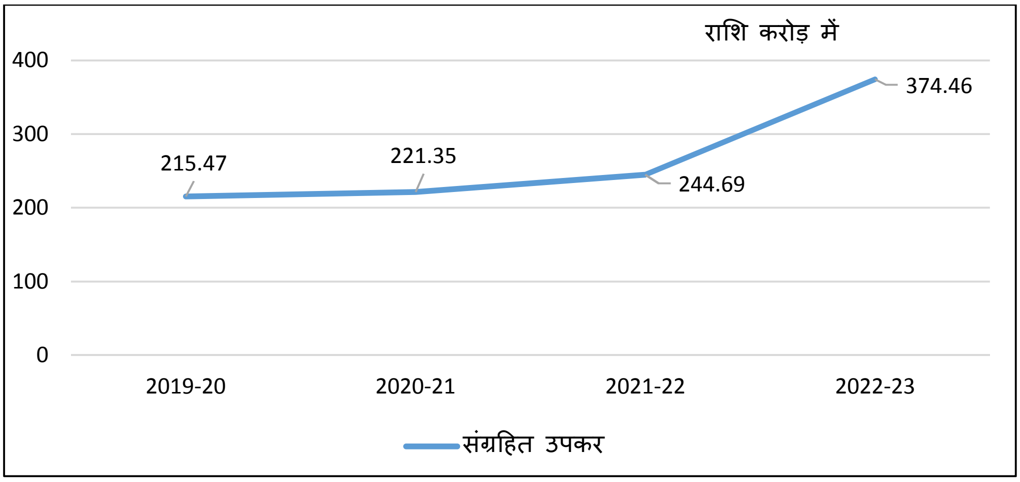

उपकर निधियों के निर्धारण, संग्रहण और प्रशासन में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.1 उपकर निधि को समेकित निधि या लोक लेखा से बाहर रखा जाना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1), अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन, यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोषीय बिल, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम जारी करके सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि एक समेकित निधि का निर्माण करेगी जिसे राज्य की समेकित निधि कहा जाएगा। अनुच्छेद 266 (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन को राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाएगा।

दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के पास अलग से कोई लोक लेखा नहीं है। इसके स्थान पर, जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचंत से संबंधित लेन-देन को केंद्र सरकार के लोक लेखा में मिला दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत संग्रहित सभी उपकर को सरकार/बोर्ड के मौजूदा आदेशों के अनुसार, जिसमें नवीनतम आदेश 3 अप्रैल 2023 का है, बोर्ड के खाते में जमा किया जाता है। बोर्ड के खातों में सीधे उपकर प्रेषित करने की यह प्रक्रिया संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों की भावना के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, बीओसीडब्ल्यू उपकर

नियमावली, 1998 में प्रावधान है कि संग्रहित उपकर को राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अंतर्गत बोर्ड के लेखा शीर्ष में बोर्ड को अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, संग्रहित उपकर को सबसे पहले लोक लेखा में दर्शाया जाना चाहिए (भले ही केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता हो) और वहां से बोर्ड के खाते में अंतरित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, श्रम उपकर लेखांकन और उपयोग की यह प्रक्रिया मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है।

3.2 उपकर का निर्धारण

उपकर नियमावली, 1998 की धारा 6 के अनुसार, प्रत्येक नियोजक जो कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य कर रहा है, उसे देय उपकर की राशि का निर्धारण करने के लिए निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) को विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी के प्रतिवेदन के पैरा 3.2.5.4 में उपकर के निर्धारण में कमियों की ओर इंगित किया गया था। तथापि, उपकर के निर्धारण में अभी भी निम्नलिखित विसंगतियां बनी हुई हैं:

(i) अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दक्षिण जिले में नमूना जांच किए गए नौ मामलों में से किसी में भी ए.ओ. के पास उपकर के उपयुक्त निर्धारण के लिए आवश्यक पूरी जानकारी, अर्थात सन्निर्माण की लागत, उधार की लागत, डिजाइनिंग और तकनीकी सहायता की लागत, चल रहे कार्य आदि की पूरी जानकारी नहीं थी। दक्षिण जिले ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2023) कि भविष्य में पूरी जानकारी मांगी जाएगी। उत्तर पश्चिम जिले ने लेखापरीक्षा को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि उसने 2005 में और फिर 2021-22 में प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान की जाने वाली उपकर राशि के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए थे। उपकर की गणना प्रतिष्ठान/संविदाकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर और पूर्वोक्त आदेश के अनुसार की जाती है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि चयनित जिलों के ए.ओ. के पास आदेशों के अनुपालन में उपकर का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित जानकारी नहीं थी।

(ii) उपकर के निर्धारण के लिए, गणना की जाने वाली सन्निर्माण की लागत मालिक द्वारा इंगित की गई लागत है या जो निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दरों पर गणना की गई लागत है, जो भी अधिक हो। लेखापरीक्षा ने ए.ओ. द्वारा सन्निर्माण लागत की गणना में त्रुटियों के कारण दो मामलों में उपकर का कम निर्धारण देखा।

(क) दक्षिण जिले में, मेसर्स सैम डाइकास्टिंग एलएलपी द्वारा सन्निर्माण की लागत की गणना करते समय एक वाणिज्यिक परिसर के सन्निर्माण के लिए देय उपकर का निर्धारण वाणिज्यिक भवन (मॉल या स्टार होटल) के बजाय आवासीय भवन के लिए निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। निर्धारित दरों पर सन्निर्माण लागत ₹ 14.49 करोड़ **(अनुलग्नक-I)** थी। निम्न सन्निर्माण लागत के आधार पर उपकर का निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.45 लाख के उपकर का कम निर्धारण हुआ। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि आवासीय भवनों के लिए निर्धारित दरें इसलिए ली गईं, क्योंकि 2 जनवरी 2006 के आदेश में मॉल, 5 स्टार होटल, अतिथि गृह और निजी अस्पतालों को छोड़कर वाणिज्यिक भवनों के लिए कोई अलग दरें नहीं दी गई थीं।
उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भवन को आवासीय घोषित नहीं किया गया था तथा वाणिज्यिक परिसर होने के कारण आवासीय भवन के लिए निर्धारित दर लगाना उचित नहीं था।

(ख) उत्तर पश्चिमी जिले में मेसर्स पुरी बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फरवरी 2019 में पूरा किए गए वाणिज्यिक परिसर और कार्यालयों के सन्निर्माण के मामले में, सन्निर्माण की लागत की गणना ए.ओ. द्वारा शॉपिंग मॉल और स्टार होटलों के लिए निर्धारित दरों के बजाय अस्पतालों, कॉलेजों और निजी स्कूलों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार की गई थी। कम निर्धारण ₹ 2.30 लाख के बराबर था। जिला प्राधिकरण ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2023) कहा कि नियोजक/निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि मेसर्स पुरी बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की निर्धारण फ़ाइल की फिर से जांच की जा रही है।

3.3 उपकर का कम जमा/वसूली

डीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 7 (2) और 12 में यह प्रावधान है कि ए.ओ. द्वारा पारित निर्धारण आदेश में देय उपकर की राशि, पहले से भुगतान किया गया या स्रोत पर काटा गया उपकर और भुगतान की देय तिथि के साथ देय शेष राशि निर्दिष्ट की जाएगी। विलंबित भुगतान के लिए उपकर की राशि से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने देय उपकर की वसूली न होने के निम्नलिखित मामले देखे:

(i) ए.ओ. ने 2019-23 के दौरान दो[1] मामलों (लेखापरीक्षा के लिए चुने गए नौ में से) में देय उपकर के रूप में ₹ 11.38 लाख का निर्धारण किया था, जिसके प्रति अग्रिम उपकर के रूप में केवल ₹ 11.10 लाख का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.07 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.35 लाख का कम उपकर जमा हुआ। इसके अतिरिक्त, जुर्माना भी नहीं लगाया गया। जिला कार्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2023) कि संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा और देय राशि वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में उपकर की स्व-घोषणा का प्रावधान है और निर्धारण के लिए ऐसी कुछ घोषणाओं के स्वचालित/यादृच्छिक चयन के लिए एक प्रणाली अपनाई जाएगी।

(ii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान एमसीडी द्वारा संग्रहित ₹ 142.18 करोड़ का उपकर अभी तक जमा नहीं किया गया (सितंबर 2023)। सीएजी के पिछले प्रतिवेदन (पैरा 3.2.5.3) में भी एमसीडी द्वारा उपकर न जमा करने की बात कही गई थी, परंतु सरकार अभी तक इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाई है। उपकर के विलंबित भुगतान के लिए अधिनियम/नियमावली में किसी दंडात्मक प्रावधान का अभाव स्थानीय निकायों को उपकर निधि को लंबी अवधि तक अपने पास रखने के लिए प्रेरित करता है।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि एमसीडी ने ₹ 144.57 करोड़ की राशि जमा कर दी है (नवंबर 2023)। इसने आगे कहा कि बोर्ड संग्रहित उपकर

[1] मेसर्स बीएमबी डेवलपर्स और मेसर्स नेहरू प्लेस होटल्स लिमिटेड।

को जमा करने के लिए एमसीडी और अन्य एजेंसियों के साथ इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है।

(iii) वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना जांच किए गए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड के सात प्रभागों में **(अनुलग्नक-II)** संविदाकारों के बिलों से काटे गए उपकर को जमा करने में 1 से 21 महीने तक का विलंब हुआ। तथापि, कोई जुर्माना नहीं लगाया गया और न ही वसूला गया।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि संग्रहित उपकर को बोर्ड के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करने के लिए सभी संबंधितों को एक प्रेस विज्ञप्ति/परिपत्र जारी किया गया था।

(iv) जिला कार्यालयों में, उपकर संग्रहकर्ताओं (श्रम अधिकारी और निरीक्षण अधिकारी) द्वारा खाता आदाता चेक और अन्य तरीकों से उपकर संग्रहित किया जाता है और फिर बोर्ड को भेज दिया जाता है। बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार, मार्च 2023 तक ₹ 9.58 करोड़ की राशि के 283 अस्वीकृत चेक पुनःजारीकरण/पुनर्वैधीकरण के अधीन थे, जिनमें से कुछ 2017-18 से भी संबंधित थे। इनमें अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2020 की अवधि से संबंधित 178 चेक/मांग ड्राफ्ट शामिल थे, जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी क्योंकि उन्हें चेक की वैधता अवधि के अंदर जमा नहीं किया गया था। अपने उत्तर में, बोर्ड ने कहा कि उसने अस्वीकृत चेक को उनके पुनर्वैधीकरण के लिए डीएलसी कार्यालयों को वापस कर दिया था।

दक्षिण जिले में मार्च, 2023 तक ₹ 7.20 करोड़ के 203 अस्वीकृत/अवधि समाप्त चेक/मांग ड्राफ्ट में से संबंधित विभागों और एजेंसियों से ₹ 6.50 करोड़ की वसूली करने के लिए अभिलेख पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं पाई गई, जबकि शेष मामलों के लिए, जिला अधिकारियों ने कहा (सितंबर 2023) कि उन्होंने संबंधित नियोजकों के साथ मामला उठाया था।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड ने अपने वेब पोर्टल पर भुगतान लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमाकर्ताओं से सीधे उपकर संग्रहित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

सिफारिश 4: सरकार को सभी उपकर संग्रहणों के लिए ऑनलाइन भुगतान मार्ग का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक समय में उपकर प्राप्त हो सके, इसके अतिरिक्त भवन नक्शा-अनुमोदन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास पड़े उपकर का भुगतान बिना विलंब के किया जा सके।

3.4 वसूले गए उपकर की राशि का मिलान नहीं किया गया

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी के प्रतिवेदन के पैरा 3.2.5.2 में उपकर संग्रहकर्ताओं, जिलों और बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार उपकर राशि के आंकड़ों में अंतर की ओर इंगित किया गया था। तब सरकार ने कहा था (सितंबर 2023) कि सभी जिले मासिक आधार पर बोर्ड के साथ उपकर संग्रहण का मिलान कर रहे थे। तथापि, यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है क्योंकि दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिला कार्यालयों और बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार संग्रहित किए गए उपकर के आंकड़ों में अंतर था जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिलों और बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार संग्रहित उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला अभिलेखों के अनुसार उपकर राशि	बोर्ड के अनुसार उपकर राशि	बोर्ड और जिले के आंकड़ों में अंतर
1	**2**	**3**	**4 (3-2)**
2019-2020	56.15	75.76	19.61
2020-2021	26.79	76.02	49.23
2021-2022	36.55	91.40	54.85
2022-2023	39.28	120.54	81.26
कुल	**158.77**	**363.72**	**204.95**

चार्ट 3.2: दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिलों और बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार संग्रहित उपकर

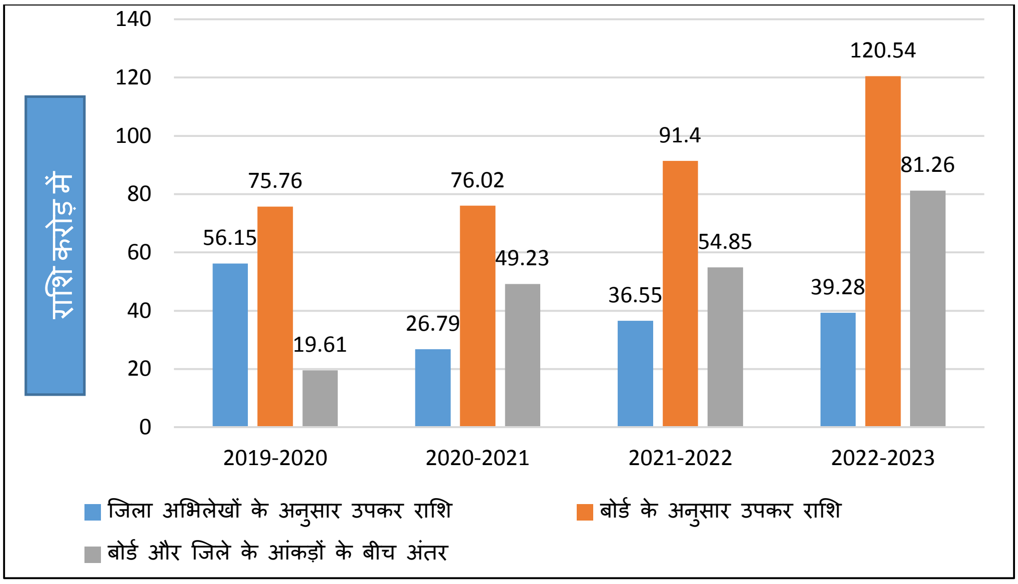

जिला अभिलेखों और बोर्ड के अनुसार चार वर्षों के लिए उपकर के आंकड़ों में ₹ 204.95 करोड़ का अंतर था। चूंकि अंतर का समाधान नहीं किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा में आंकड़ों की शुद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि अब उपकर संग्रहण प्रक्रिया अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर दी गई है।

सिफारिश 5: एक मज़बूत समाधान तंत्र, अधिमानतः ऑनलाइन, विकसित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बकाया राशि संग्रहित की जा रही है और उसका सही हिसाब रखा जा रहा है।

अध्याय-4

बोर्ड द्‌वारा उपकर निधि का उपयोग और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय 4

बोर्ड द्वारा उपकर निधि का उपयोग और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

- कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय कुल प्राप्तियों का केवल 9.53 और 11.33 *प्रतिशत* के बीच रहा सिवाय 2021-22 के जब कोविड महामारी काल से निपटने के लिए बीओसीडब्ल्यू को अनुग्रह भुगतान किया गया था।
- 2019-20 से 2022-23 के दौरान 17 में से केवल 12 योजनाओं के अंतर्गत ही हितलाभ प्रदान किए गए थे क्योंकि पांच योजनाओं[1] में कोई व्यय नहीं किया गया था।
- वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सन्निर्माण कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता राशि ₹ 46.08 करोड़ थी जिसे 58,998 विद्यार्थियों में वितरित किया जाना था, इस राशि को केवल मार्च 2022 में बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय को जारी किया गया था।
- भारत सरकार द्वारा राज्यों को सलाह दिए जाने (अक्टूबर 2018) के बावजूद कि वे बीओसी कर्मकारों को काम मिलने तक पारगमन आवास/श्रम शेड सह रात्रि आश्रय, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेश की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं, बोर्ड ने दिल्ली में इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।
- बोर्ड ने 2019-20 में 350 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा बीओसी कर्मकारों और उनके आश्रितों को आगे कोई अन्य प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया था, जो उन्हें अपने कौशल को उन्नत करने या नए कौशल प्राप्त करने में विविधता लाने में मदद कर सके।

[1] (क) गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता (ख) घर की खरीद या निर्माण हेतु अग्रिम (ग) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद हेतु ऋण (घ) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद हेतु अनुदान (ङ) बीमा पॉलिसी।

- बोर्ड ने जून 2019 में भारत सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी, परंतु इसे लागू नहीं किया और अभी भी देय ₹ 4 लाख और ₹ 2 लाख के बजाय क्रमशः दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में केवल ₹ 2 लाख और सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹ 1 लाख की सहायता प्रदान करना जारी रखा।
- आयुष्मान भारत/प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) देश भर में किसी भी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल में नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल सेवा के साथ अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹ 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। श्रम विभाग और बोर्ड ने इस लाभकारी योजना के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के बीओसीडब्ल्यू को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था और इस प्रकार वे अधिकतम ₹ 10,000 की मामूली चिकित्सा सहायता के लिए ही पात्र हैं।

बोर्ड द्वारा संग्रहित उपकर, उस पर अर्जित ब्याज तथा बीओसीडब्ल्यू से संग्रहित पंजीकरण/नवीकरण शुल्क आदि का उपयोग बोर्ड पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों तथा उनके परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, आवास ऋण, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा तथा प्रसूति हितलाभ आदि जैसी 17 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक तथा स्वास्थ्य हितलाभ प्रदान करने के लिए करता है।

मार्च 2023 तक बोर्ड के पास ₹ 3,579.05 करोड़ की धनराशि संचित थी।

इसके प्रति, बोर्ड द्वारा 2019-20 से 2022-23 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: बोर्ड की कुल प्राप्तियों की तुलना में कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्राप्तियां	कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर व्यय	कुल प्राप्तियों की तुलना में व्यय (*प्रतिशत में*)
2019-20	431.66	48.89	11.33
2020-21	387.56	36.95	9.53
2021-22	357.57	458.08[2]	128.11
2022-23	597.63	61.10	10.22
कुल	**1,774.42**	**605.02**	

चार्ट 4.1: बोर्ड की कुल प्राप्तियों की तुलना में कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण

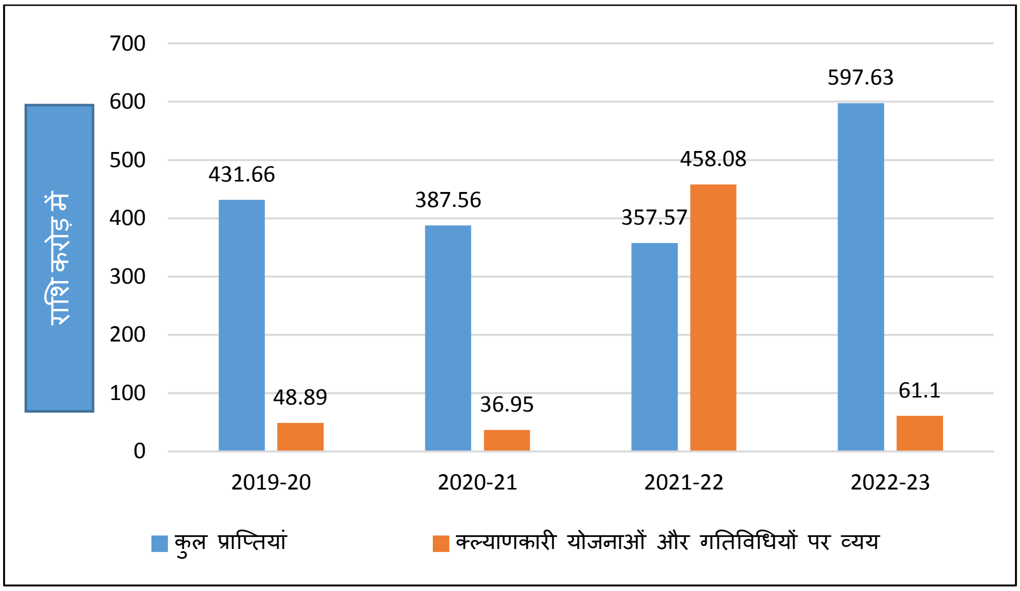

[2] इसमें कोविड महामारी काल से निपटने के लिए बीओसीडब्ल्यू को दी गई अनुग्रह राशि भी शामिल है।

चार्ट 4.2: संग्रहित उपकर और उस पर अर्जित ब्याज की तुलना में कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किया गया व्यय

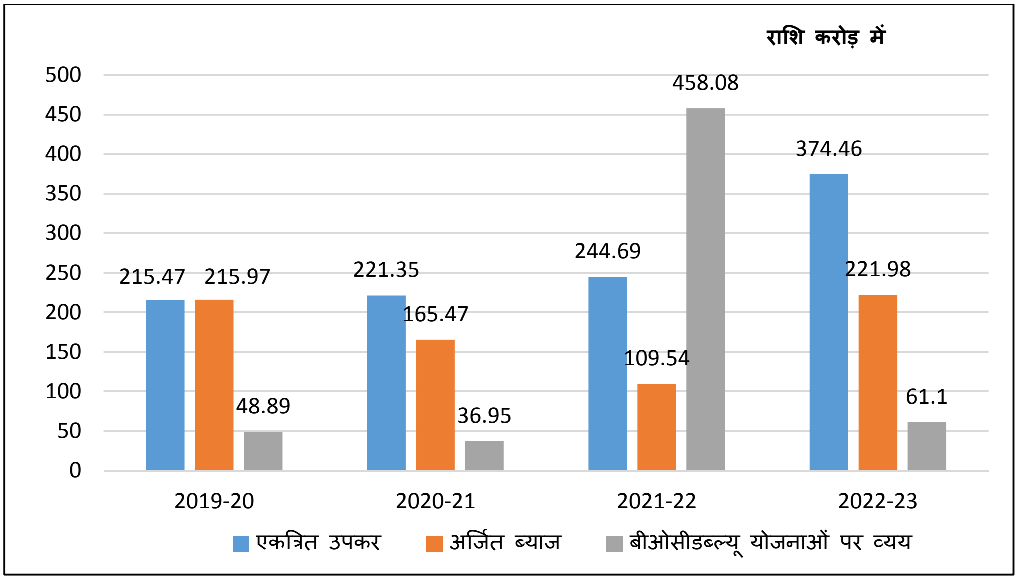

जैसा कि देखा जा सकता है, कल्याण पर व्यय कुल प्राप्तियों का 9.53 और 11.33 *प्रतिशत* के बीच रहा, सिवाय 2021-22 के जब कोविड महामारी काल से निपटने के लिए बीओसीडब्ल्यू को अनुग्रह भुगतान किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2019-23 के दौरान ₹ 605.02 करोड़ की कुल सहायता राशि में से ₹ 527.42 करोड़ (87 *प्रतिशत*) अनुग्रह भुगतान के कारण थे और कुल व्यय का केवल 12.83 *प्रतिशत* (कुल प्राप्तियों का 0.05 *प्रतिशत* से भी कम) नियमित कल्याण गतिविधियों पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2022-23 के दौरान 17 योजनाओं **(अनुलग्नक-III)** में से केवल 12 के अंतर्गत हितलाभ दिए गए क्योंकि पांच योजनाओं[3] में कोई व्यय नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि दावों के तहत हितलाभ आवेदन आधारित हैं, और बोर्ड ने एक वेब पोर्टल विकसित किया है जो सन्निर्माण कर्मकारों को उपलब्ध विभिन्न हितलाभों, पंजीकरण, नवीकरण और स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में बीओसी कर्मकारों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक वीडियो फुटेज प्रदान करता है। बोर्ड योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और अधिकतम बीओसीडब्ल्यू को बोर्ड के दायरे में लाने के लिए बीओसी कर्मकारों

[3] (क) गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता (ख) घर की खरीद या निर्माण हेतु अग्रिम (ग) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (घ) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान (ङ) बीमा पॉलिसी।

के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निर्माण स्थलों, कर्मकार चौकों पर विभिन्न शिविरों का आयोजन भी करता है।

तथापि, तथ्य यह है कि बहुत कम कर्मकार इसका लाभ उठा रहे हैं, जो दर्शाता है कि बोर्ड द्वारा किए गए प्रयास अपर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा ने बीओसीडब्ल्यू के लिए कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने में बोर्ड की ओर से कमियां देखीं, जिनकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

4.1 कोविड-19 के दौरान बोर्ड का कामकाज और भारत सरकार के निर्देशों का पालन

कोविड-19 के प्रकोप के कारण बीओसीडब्ल्यू के समक्ष उत्पन्न अभूतपूर्व संकट को देखते हुए, भारत सरकार ने जुलाई 2020 में एक फास्ट-ट्रैक समयबद्ध मिशन मोड परियोजना (परियोजना) शुरू की। भारत सरकार ने आकलन किया कि 14 जुलाई 2020 तक अनुमानित बीओसी कर्मकारों में से केवल आधे का पंजीकरण नवीकृत किया गया था और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के अंदर प्रक्रियाओं को आसान बनाकर सभी शेष बीओसी कर्मकारों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था।

भारत सरकार के अनुसार (जुलाई 2020), सभी राज्यों के सामूहिक आंकड़ों की तुलना में दिल्ली में बीओसी कर्मकारों के पंजीकरण की स्थिति **तालिका 4.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.2: भारत और दिल्ली में पंजीकृत बीओसी कर्मकारों की स्थिति

(संख्या लाख में)

विवरण	बीओसी कर्मकारों की लक्षित संख्या	पंजीकृत बीओसी कर्मकारों की संख्या	14 जुलाई 2020 तक अपना पंजीकरण नवीकृत करने वाले बीओसी कर्मकारों की संख्या
अखिल भारतीय	500	347.75 (69.6%)	257.55 (74%)
दिल्ली	7.89	5.49 (69.5%)	0.40 (7.3%)

चार्ट 4.3: भारत और दिल्ली में पंजीकृत बीओसी कर्मकारों की स्थिति

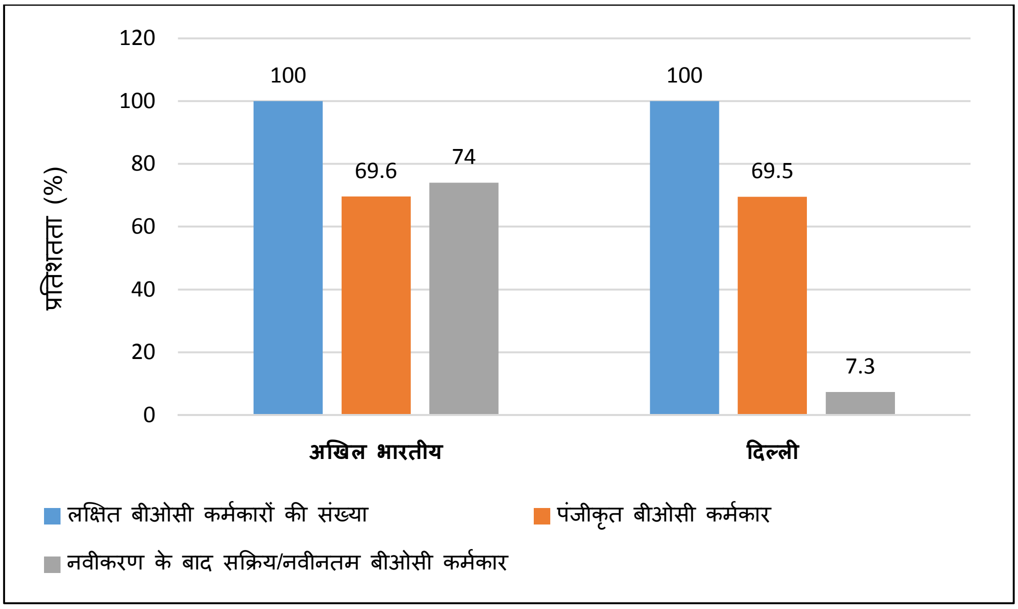

उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार, पंजीकरण के नवीकरण के मामले में दिल्ली अखिल भारतीय प्रदर्शन से बहुत पीछे थी जो कि मात्र 7.3 *प्रतिशत* था जबकि अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकरण का नवीकरण 74 *प्रतिशत* था। इसने कोविड-19 जैसे संकट के दौरान निर्वाह भत्ता प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई और ना ही लागू की तथा भारत सरकार के सुझाव के अनुसार राज्यों में प्रवास करने वाले बीओसीडब्ल्यू के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण की सुविधा विकसित नहीं की। तथापि, 2019-20 से 2022-23 के दौरान, जब कोविड-19 के कारण और प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण सन्निर्माण गतिविधियां बंद थीं, सन्निर्माण कर्मकारों की सहायता करने के लिए, बोर्ड ने 9.48 लाख लाभार्थियों को कुल ₹ 528.42 करोड़ का अनुग्रह भुगतान किया (चार अवसरों पर ₹ 5,000, तीन कोविड-19 के दौरान और चौथा जब सन्निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित थीं)। बीओसीडब्ल्यू को किए गए भुगतान का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3: लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किए गए अनुग्रह भुगतान का विवरण

किस्त	भुगतान की तिथि	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)		राशि (₹ करोड़ में)
		भुगतान हेतु स्वीकृत	वास्तव में किया गया भुगतान	
प्रथम और द्वितीय	31.03.2020 से 07.01.2022 तक	1.18	1.10	109.57
तृतीय	22.04.2021 से 04.05.2022 तक	3.17	2.98	148.87
चतुर्थ	27.11.2021 से 19.07.2022 तक	6.17	5.40	269.98
कुल		**10.52**	**9.48**	**528.42**

जैसा कि देखा जा सकता है, ये भुगतान, जिनका उद्देश्य बीओसीडब्ल्यू को तत्काल संकट से उबारना था, लंबी अवधि तक किए गए थे, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो गई। अनुग्रह राशि का भुगतान करने में देखी गई कमियां/अनियमितताएं इस प्रकार थीं:

(क) बीओसीडब्ल्यू को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए इच्छित अनुग्रह राशि का भुगतान सभी चार किस्तों में देरी से किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अंतिम किस्त में, 1,25,437 सन्निर्माण कर्मकारों को आदेश जारी होने के चार से आठ महीने बाद भुगतान किया गया था।

(ख) उपर्युक्त तालिका के अनुसार, बीओसी कर्मकारों में से केवल 90 *प्रतिशत* को, जो अनुग्रह राशि प्राप्त करने के पात्र थे, वास्तव में यह राशि प्राप्त हुई। चतुर्थ किस्त में, बोर्ड 77,230 सन्निर्माण कर्मकारों को ₹ 38.62 करोड़ का निर्वाह भत्ता प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि उसके पास सही और अद्यतित बैंक विवरण नहीं था। इसके अतिरिक्त, सभी सन्निर्माण कर्मकारों को समान राशि का भुगतान किया गया, जबकि भुगतान संबंधित श्रेणियों के कर्मकारों के लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित मज़दूरी के अनुसार किया जाना था।

(ग) इन बीओसी कर्मकारों के आंकड़ों की सीजीएचएस और वॉहन आंकड़ों के साथ तुलना करने पर पता चला कि 47 मामले उन पंजीकृत कर्मकारों से संबंधित थे जो सीजीएचएस लाभार्थी भी थे और 1,204 लाभार्थी निजी उपयोग के लिए पंजीकृत चार पहिया वाहनों के मालिक थे।

(घ) यह भी पाया गया कि भुगतान विफलताओं के कारण 27,970 चिह्नित लाभार्थियों को प्रथम तीन किस्त में ₹ 18.33 करोड़ का भुगतान नहीं किया जा सका, जो यह दर्शाता है कि बोर्ड द्वारा बैंक खाता विवरण को प्राप्त/अद्यतित नहीं किया गया था।

(ङ) यद्यपि सर्दियों के महीनों में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण हर वर्ष सन्निर्माण गतिविधियां रोक दी जाती हैं, फिर भी बोर्ड द्वारा 2021 के बाद निर्वाह भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया।

उपर्युक्त तथ्य सरकार/बोर्ड द्वारा अपने कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफलता को दर्शाते हैं। प्रदूषण के कारण काम रुकना अब हर वर्ष की बात हो गई है और एक अधिक मज़बूत प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि

- बोर्ड प्राकृतिक आपदाओं के कारण सन्निर्माण कार्य बंद हो जाने पर बीओसी कर्मकारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक योजना तैयार करने की प्रक्रिया में था।
- बोर्ड अपने डाटाबेस को ई-श्रम डाटा के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में भी था, ताकि डाटा की सुवाह्यता सुनिश्चित की जा सके, जिसे किसी भी राज्य द्वारा एक्सेस किया जा सके।
- बोर्ड सन्निर्माण कर्मकारों की सदस्यता का पंजीकरण/नवीकरण आधार प्रमाणन और डीबीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस), 2002 के नियम 266 के अनुसार करता है। इसने आगे कहा कि सीजीएचएस और वॉहन डेटा के साथ दुतरफा पड़ताल संभव नहीं थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का मानना है कि बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल वास्तविक बीओसीडब्ल्यू को ही हितलाभ दिए जाते हैं।
- बोर्ड के सभी 11 जिला कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे बीओसी कर्मकारों को समय पर हितलाभ पहुंचाने के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक विवरण को अद्यतित करें। इसके अतिरिक्त, इस सुविधा के लिए प्रत्येक जिला कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

सिफारिश 6: सन्निर्माण कार्य बंद होने पर बीओसी कर्मकारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार को एक नियमित योजना शुरू करने की आवश्यकता है और पंजीकृत स्थानांतरित बीओसी कर्मकारों से संबंधित डेटा की अंतर-राज्यीय सुवाह्यता की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

सिफारिश 7: बोर्ड को निर्धारित समयसीमा का पालन करना होगा ताकि बीओसी कर्मकारों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

4.2 बीओसीडब्ल्यू के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

बोर्ड की 10 चयनित योजनाओं[4] के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां निम्नानुसार हैं:

(i) वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए **सन्निर्माण कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए** 58,998 छात्रों को वितरित करने के लिए ₹ 46.08 करोड़ की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय को केवल मार्च 2022 में जारी की गई थी और बाद के वर्षों के लिए हितलाभ का सितंबर 2023 तक भुगतान किया जाना बाकी था। विभिन्न योजनाओं से संबंधित 4,017 दावों में से 134 में वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने में 1,423 दिनों तक की देरी भी हुई। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2021 या उससे पहले जारी किए गए 15 संस्वीकृति आदेशों के संबंध में भुगतान उत्तर पश्चिम जिले के पास लंबित थे। इसके अलावा, कमियों के कारण बोर्ड (मुख्यालय) द्वारा जिलों को लौटाए गए 137 संस्वीकृति आदेशों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि एक से अधिक विभागों की संलिप्तता के कारण राशि वितरित करने में थोड़ा अधिक समय लगता है। आगे कहा गया कि इन हितलाभों को न्यूनतम संभव समय में प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। आवेदनों पर कार्रवाई करने में देरी का कारण आवेदक द्वारा जिला अधिकारी द्वारा जारी की गई कमियों को दूर करने में देरी को बताया गया।

[4] (i) पेंशन हितलाभ, (ii) प्रसूति हितलाभ, (iii) मृत्यु हितलाभ, (iv) शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, (v) विवाह के लिए वित्तीय सहायता, (vi) अशक्तता पेंशन, (vii) अंतिम संस्कार सहायता, (viii) चिकित्सा सहायता, (ix) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, और (x) कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण।

(ii) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बोर्ड को मृत लाभार्थी के आश्रित/आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु के मामले में न्यूनतम ₹ 4 लाख और सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹ 2 लाख का कवरेज प्रदान करना था या प्रीमियम राशि का अंशदान करके ***प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना*** के अंतर्गत 50 वर्ष की आयु तक के बीओसी कर्मकारों को कवर करना था। बोर्ड ने जून 2019 में भारत सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी, परंतु इसे लागू नहीं किया और अभी भी दुर्घटना में मृत्यु के मामले में केवल ₹ 2 लाख और सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹ 1 लाख की सहायता प्रदान करना जारी रखा।

बोर्ड ने कहा (सितंबर 2023) कि उसने मई 2023 में बीमा के स्थान पर सामान्य मृत्यु के मामले में ₹ 10 लाख और दुर्घटना में मृत्यु के मामले में ₹ 12 लाख की सहायता को मंज़ूरी दी है और यह प्रक्रियाधीन है। तथापि सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड के पास दिल्ली के सन्निर्माण कर्मकारों के लिए जीवन और अशक्तता सुरक्षा के लिए अपनी स्वयं की कल्याणकारी योजनाएं हैं। तथ्य यह है कि भारत सरकार के मानदंडों को अपनाने के बावजूद, बोर्ड ने वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान मृत 782 कर्मकारों के आश्रित/आश्रितों को हितलाभ की परिकल्पित राशि प्रदान नहीं की।

इसके अतिरिक्त, समयबद्ध तरीके से दावों को संसाधित करने के लिए चयनित जिलों में मृत लाभार्थियों के विवरण वाले रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। अपने उत्तर में (अगस्त 2023), उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय ने कहा कि उसने अब रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया है।

(iii) **आयुष्मान भारत/प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)** देश भर में किसी भी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल में नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और श्रम और रोज़गार मंत्रालय (एमओएलई) ने राज्य कल्याण बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) के अंतर्गत पंजीकृत बीओसीडब्ल्यू को इस योजना के अंतर्गत हितलाभ देने के लिए सहयोग किया था। तथापि, श्रम विभाग और बोर्ड ने इस लाभकारी योजना के तहत रा.रा.क्षे. दिल्ली के बीओसीडब्ल्यू

को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था और इस प्रकार वे अधिकतम ₹ 10,000 की मामूली चिकित्सा सहायता के लिए ही पात्र हैं। मार्च 2025 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

(iv) भारत सरकार द्वारा राज्यों को सलाह दिए जाने (अक्टूबर 2018) के बावजूद कि वे बीओसी कर्मकारों को काम मिलने तक **पारगमन आवास/श्रम शेड-सह-रात्रि आश्रय, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेश** की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं, बोर्ड ने दिल्ली में इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि पात्र आवेदकों को आवास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड की अपनी समर्पित योजना है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पारगमन आवास, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेश प्रदान करने की योजना को लागू करने के लिए अभिलेख पर कोई विचार-विमर्श नहीं पाया गया और घर की खरीद या निर्माण के लिए अग्रिम देने की योजना पर बोर्ड द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया था।

(v) भारत सरकार ने बोर्ड की **कौशल विकास गतिविधियों** को राज्य कौशल विकास मिशनों/कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलाने की परिकल्पना की (अक्टूबर 2018) ताकि बीओसी कर्मकारों और उनके आश्रितों को अपने कौशल को उन्नत करने या नए कौशल प्राप्त करने में विविधता लाने में मदद मिल सकें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने 2019-20 में 350 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा उन्हें कोई अन्य प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया था। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि सिफारिश को कार्यान्वयन के लिए नोट कर लिया गया है।

(vi) डीबीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) नियमावली, 2002 के अनुसार, कम से कम एक वर्ष के लिए पंजीकृत बीओसी कर्मकार, साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹ 3,000 प्रति माह की पेंशन के लिए पात्र था, जिसमें प्रति वर्ष ₹ 300 की वृद्धि होती थी। भारत सरकार द्वारा जारी (नवंबर 2018) बीओसी कर्मकारों के लिए मॉडल कल्याण योजना के अनुसार, पेंशन के लिए पात्रता अवधि 10 वर्ष थी और बोर्ड को अपनी वित्तीय क्षमता के आधार पर पेंशन योजनाएं बनानी थीं। मॉडल योजना की अनदेखी करते हुए, बोर्ड ने केवल तीन वर्ष की पात्रता अवधि वाले बीओसी कर्मकार को पेंशन स्वीकृत की (जून 2019)। इसके बावजूद,

केवल एक वर्ष तक पंजीकृत रहने वाले कर्मकारों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा था।

अपने उत्तर में (सितंबर 2023), बोर्ड ने अधिनियम (तीन वर्ष) और नियमावली[5] में पात्रता अवधि के अंतर को विसंगति के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सरकार ने आगे कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड अपनी बोर्ड बैठकों में लिए गए निर्णयों और समय-समय पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बीओसी कर्मकारों को पेंशन वितरित करने के लिए बाध्य है, जो सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष की अवधि (एक वर्ष की मौजूदा अवधि के बजाय) के लिए पंजीकृत थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन वर्षों के बजाय एक वर्ष की पात्रता अवधि के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

सिफारिश 8: बोर्ड को रा.रा.क्षे.दि. में रहने वाले बीओसीडब्ल्यू के कल्याण के लिए भारत सरकार के विभिन्न निर्देशों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि उनकी जीवन-निर्वाह स्थितियों में सुधार हो सके।

4.3 सीमा से अधिक प्रशासनिक व्यय

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 24(3) में प्रावधान है कि किसी भी वित्त वर्ष में बोर्ड का प्रशासनिक व्यय उस वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय के पांच *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, 2021-22 को छोड़कर प्रशासनिक व्यय 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल व्यय के 7.19 और 11.01 *प्रतिशत* के बीच रहा, जैसा कि **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: कुल व्यय की तुलना में प्रशासनिक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक व्यय
2019-20	3.79	52.68	7.19
2020-21	4.57	41.52	11.01
2021-22	7.05	465.13	1.52
2022-23	5.08	66.18	7.67

[5] अधिनियम में तीन वर्ष और नियमावली में एक वर्ष।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी के प्रतिवेदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया था (पैरा संख्या 3.2.10.1)। बोर्ड को अपने प्रशासनिक व्यय को अनुमत सीमाओं के अंदर कम करने की आवश्यकता है।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड अपने प्रशासनिक व्यय को कुल व्यय के पांच *प्रतिशत* की सीमा के अंदर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और कल्याणकारी व्यय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्याय-5

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र

अध्याय 5

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र

- चार वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार नियोजकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग के चयनित जिलों द्वारा या बीओसी (आरई एंड सीएस) कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) द्वारा सन्निर्माण स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के साढ़े पांच वर्ष के बाद भी दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की कोई ***सामाजिक लेखापरीक्षा*** नहीं की गई (अक्टूबर 2023)।

संगठनों के अंदर आंतरिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाता है कि इसकी विभिन्न घटक इकाइयों में गतिविधियां योजना के अनुसार चल रही हैं। इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण किसी भी संगठन में कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक पूर्वापेक्षा है और यह हितधारकों को इस बात का आश्वासन देता है कि इसके कार्यों की पर्याप्त निगरानी की जा रही है। विभाग/बोर्ड के आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र का ढांचा और प्रबंधन में देखे गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (मार्च 2018) पर, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की ***सामाजिक लेखापरीक्षा***[1] के लिए एक रूपरेखा विकसित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के साढ़े पांच वर्ष के बाद भी दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई (अक्टूबर 2023)। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड अपनी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक एजेंसी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में था।

(ii) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार नियोजकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता

[1] सामाजिक लेखापरीक्षा वह लेखापरीक्षा है जो लोगों द्वारा, विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो योजना से प्रभावित हैं या इसके इच्छित लाभार्थी हैं और इस प्रकार इसे समुदाय द्वारा किसी कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन और उसके परिणामों के सत्यापन के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग के चयनित जिलों द्वारा या बीओसी (आरई एंड सीएस) कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) द्वारा सन्निर्माण स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि विभाग सन्निर्माण स्थलों के निरीक्षण को केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाएगा ताकि यह पारदर्शी तरीके से किया जा सके। यह भी कहा गया कि डीआईएसएच, कर्मकारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में नियोजकों और कर्मकारों को सुग्राही बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा था जिसके लिए उसने सुरक्षा नियमावली तैयार की है।

(iii) डीबीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) नियमावली, 2002 में प्रावधान है कि बोर्ड गतिविधियों की निगरानी के लिए सामान्यतः दो महीने में एक बार बैठक करेगा। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई चार[2] वर्ष की अवधि के दौरान केवल चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं थीं। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड आवश्यकतानुसार नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड को अपनी गतिविधियों की निगरानी के लिए दो महीने में एक बार बैठक करनी होती है।

(iv) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम में प्रावधान है कि बोर्ड पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का संपूर्ण ब्योरा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसे राज्य विधानमंडल के समक्ष भी रखा जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-21 और 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई हैं और बोर्ड के प्रमाणित लेखे (वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22) राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि 2021-22 तक वार्षिक रिपोर्ट स्वीकृत की गई थी। आगे यह भी कहा गया कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट अगली बैठक में बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

(v) आंतरिक लेखापरीक्षा, व्यय के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है और इस प्रकार यह किसी संगठन के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बोर्ड ने विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना नहीं की थी। रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा बोर्ड की कोई लेखापरीक्षा भी नहीं की गई है। सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड ने

[2] 14.06.2019, 07.07.2020, 21.01.2021 और 01.08.2022

तुलन-पत्र, आय और व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान लेखाओं को तैयार करने के लिए एक सनदी लेखाकार (सी.ए.) को काम पर रखा है। आगे यह भी कहा गया कि सी.ए. आंतरिक लेखापरीक्षक की भूमिका निभाता है और वित्त, उपकर संग्रहण, उपकर निवेश और कल्याणकारी योजनाओं जैसी विभिन्न गतिविधियों की सामान्य जांच करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखाओं की तैयारी के दौरान की जाने वाली जांच और आंतरिक लेखापरीक्षा अलग-अलग हैं।

सिफारिश 9: बोर्ड को नियमित अंतराल पर बैठक करनी चाहिए ताकि मार्गदर्शन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के कार्य और उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निभाए जा रहे हैं।

सिफारिश 10: सरकार अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मज़बूत करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा भी प्रारंभ कर सकती है।

नई दिल्ली | **(रोली शुक्ला माल्गे)**
दिनांक: 27 मई 2025 | **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 05 जून 2025 | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक I

(पैराग्राफ 3.2(ii) (क) में संदर्भित)

दक्षिण जिले में उपकर के लिए गणना पत्रक

भवन का प्रकार: वाणिज्यिक परिसर

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	निर्माण वस्तुओं/शीर्ष का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में.	निर्धारिती द्वारा घोषित निर्माण की लागत	श्रम सचिव के आदेश दिनांक 02-01-2006 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार निर्माण की लागत	उपकर की गणना के उद्देश्य से ली गई निर्माण की अंतिम लागत (उच्चतर)	निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई निर्माण की लागत (उच्चतर)
1	कुल निर्मित छतदार क्षेत्र (मेज़ानाइन फ्लोर सहित 4 मंज़िल तक)	4,715.76	3,87,99,040	4,715.76 x 20,000= 9,43,15,200	9,43,15,200	3,87,99,040
2	अतिरिक्त निर्मित छतदार क्षेत्र (4 मंज़िलों से परे)	623.92	55,45,251	623.92 x 20,000= 1,24,78,400	1,24,78,400	55,45,251
3	तहखाने का कुल निर्मित छतदार क्षेत्र	1,283.71	1,58,42,637	1,283.71 x 20,000 = 2,56,74,200	2,56,74,200	1,58,42,637
4	मरम्मत/परिवर्तन/रखरखाव के मामले में सिविल कार्य की कुल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	ढहाने की कुल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	फर्श का प्रकार और कुल क्षेत्रफल	8,400	72,23,771	शून्य	शून्य	72,23,771
7	काष्ठ दिलहाबंदी कार्य की लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	काष्ठ दिलहाबंदी को छोड़कर काष्ठ कर्म की लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	कृत्रिम छत कार्य की लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	केंद्रीय वातानुकूलन की लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	लिफ्ट संस्थापन की लागत	शून्य	51,92,641	शून्य	शून्य	51,92,641
12	रेलिंग/गेट सहित चारदीवारी की लागत	शून्य	42,25,722	42,25,722	42,25,722	42,25,722

क्रम सं.	निर्माण वस्तुओं/शीर्ष का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में.	निर्धारिती द्वारा घोषित निर्माण की लागत	श्रम सचिव के आदेश दिनांक 02-01-2006 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार निर्माण की लागत	उपकर की गणना के उद्देश्य से ली गई निर्माण की अंतिम लागत (उच्चतर)	निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई निर्माण की लागत (उच्चतर)
13	तरणताल की कुल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	फिटिंग और फिक्सचर के साथ बिजली के काम की लागत (क्रम संख्या 1+2+3 के 15% पर लागत की गणना की गई है)	शून्य	92,55,217	शून्य	शून्य	92,55,217
15	फिटिंग और फिक्स्चर के साथ नलसाज़ी कार्य की लागत (क्रम संख्या 1+2+3 के 10% पर लागत की गणना की गई है)	शून्य	60,92,521	शून्य	शून्य	60,92,521
16	सीवरेज, बाहरी सड़कों, संपर्क मार्गों, अग्निशमन, भू-दृश्य निर्माण आदि सहित अन्य विकास कार्यों की लागत	शून्य	81,89,852	81,89,852	81,89,852	81,89,852
		कुल लागत	**10,03,66,652**		**14,48,83,374**	**10,03,66,652**

निर्माण लागत में अंतर (₹ 14,48,83,374 - ₹ 10,03,66,652) = ₹ 4,45,16,722

₹ 4,45,16,722 के 1% पर उपकर = ₹ 4,45,167

अनुलग्नक II

(पैराग्राफ 3.3(iii) में संदर्भित)

श्रम उपकर के विलंबित जमा का विवरण

वर्ष	जिन महीनों में संविदाकारों के बिलों से श्रम उपकर काटा गया था	संविदाकारों के बिलों से काटे गए श्रम उपकर की कुल राशि	बोर्ड को श्रम उपकर के प्रेषण की तिथि	प्रेषण में विलंब
उत्तर पश्चिम भवन प्रभाग, पीडब्ल्यूडी				
2019-20	अप्रैल	8,310	20.06.2019	1 महीना
	अगस्त	3,27,575	01.11.2019	1 महीना
	दिसंबर से जनवरी	4,25,713	31.03.2020	1 से 2 महीने
2020-21	अप्रैल से जनवरी	12,41,024	31.03.2021	1 से 10 महीने
2021-22	अप्रैल से जनवरी	33,60,962	31.03.2022	1 से 10 महीने
2022-23	अप्रैल से जनवरी	36,99,014	28.04.2023	1 से 11 महीने

साउथ रोड प्रभाग-2 (एम-411) प्रभाग, पीडब्ल्यूडी

2019-20	अप्रैल से मार्च	21,37,369	04.07.2020	2 से 13 महीने
2020-21	जुलाई से जनवरी	13,57,092	31.03.2021	1 से 7 महीने
2021-22	अप्रैल से जनवरी	31,12,415	31.03.2022	1 से 10 महीने
2022-23	अप्रैल से अगस्त	18,61,425	31.10.2022	1 से 5 महीने
	अक्टूबर से नवंबर	2,82,482	24.01.2023	1 से 2 महीने
	जनवरी	3,03,555	31.03.2023	1 महीना

सिविल प्रभाग-VI, आईएफसीडी

2019-20	जनवरी से मई	30,41,949	16.07.2019	1 से 5 महीने
	नवंबर	6,45,469	14.02.2020	1 से 2 महीने
	फरवरी से मार्च	29,71,411	06.11.2020	6 से 7 महीने
2020-21	जुलाई से अगस्त	8,54,199	06.11.2020	1 से 2 महीने
	अक्टूबर से जनवरी	77,43,235	31.03.2021	1 से 4 महीने
2021-22	मई से सितंबर	21,29,851	04.12.2021	1 से 5 महीने
	जनवरी	23,47,150	31.03.2022	1 महीना
2022-23	मई से नवंबर	81,41,388	10.02.2023	1 से 7 महीने
	फरवरी और मार्च	38,48,561	अभी तक प्रेषित किया जाना शेष है (अगस्त, 2023)	4 से 5 महीने

सिविल प्रभाग-V, आईएफसीडी

2019-20	जुलाई से अगस्त	28,86,810	05.11.2019	1 से 2 महीने
	नवंबर से जनवरी	35,72,178	31.03.2020	1 से 3 महीने
2020-21	जुलाई से अगस्त	2,68,239	10.11.2020	1 से 2 महीने
	नवंबर	6,12,207	28.01.2021	1 महीना
2021-22	मई से जुलाई	17,30,924	20.09.2021	1 से 3 महीने
	सितंबर से जनवरी	37,41,256	29.03.2022	1 से 5 महीने
2022-23	मई से जुलाई	12,07,862	20.09.2022	1 से 3 महीने
	सितंबर से अक्टूबर	55,16,981	16.12.2022	1 से 2 महीने
	दिसंबर से जनवरी	17,71,048	29.03.2023	1 से 2 महीने

दक्षिण-I प्रभाग, डीजेबी

2019-20	अक्टूबर	42,617	04.01.2020	1 महीना
	फरवरी से मार्च	1,81,000	22.08.2020	4 से 5 महीने
2022-23	मई से अगस्त	7,13,404	01.11.2022	1 से 4 महीने

एसडीडब्ल्यू-I प्रभाग, डीजेबी

2019-20	अगस्त से दिसंबर	1,70,339	26.02.2020	1 से 5 महीने
	मार्च	84,026	01.09.2020	4 महीने
2020-21	नवंबर	1,83,707	30.01.2021	1 महीना

उत्तर पश्चिम-I प्रभाग, डीजेबी

2019-20	जून से जुलाई	3,31,098	16.09.2019	1 से 2 महीने
	सितंबर से मार्च	14,11,969	25.11.2020	7 से 13 महीने
2020-21	अगस्त से सितंबर	3,86,135	25.11.2020	1 से 2 महीने
	दिसंबर से मार्च	15,58,426	01.11.2022	18 से 21 महीने
2021-22	जून से मार्च	27,59,088	01.11.2022	6 से 15 महीने
2022-23	अप्रैल से जुलाई	13,74,482	14.10.2022	1 से 4 महीने

अनुलग्नक III
(अध्याय 4 में संदर्भित)
लाभार्थियों तथा कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण

क्रम. सं.	योजनाओं के नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि
1.	प्रसूति हितलाभ (नियम 271)	7	2,10,000	230	67,60,000	758	2,25,70,000	1,926	5,78,00000
2.	गर्भपात के मामले में वित्तीय सहायता (नियम 271 {ए})	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	पेंशन हितलाभ (नियम 273)	200	66,47,131	364	3,80,71,267	481	3,90,30,090	415	3,03,55,593
4.	घर की खरीद या निर्माण के लिए अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	अशक्तता पेंशन	0	0	0	0	5	9,02,000	1	2,16,000
6.	स्थायी अशक्तता के मामले में अनुग्रह राशि का भुगतान (नियम 275)								
7.	कार्य से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (नियम 276)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	कार्य से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान (नियम 276 {ए})	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	अंतिम संस्कार सहायता (नियम 277)	120	11,35,000	117	10,35,000	277	26,95,000	200	19,95,000

क्रम. सं.	योजनाओं के नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि
10.	मृत्यु हितलाभ (नियम 278) (क) स्वाभाविक मृत्यु (ख) दुर्घटना में मृत्यु	126	1,22,56,860	124	1,17,58,752	302	2,95,72,258	230	2,29,63,740
11.	चिकित्सा सहायता (नियम 280)	0	0	4	15,400	182	9,43,840	0	0
12.	शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 281) एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्तीय सहायता	10 *43,747	4,03,033 31,96,37,197	150	88,54,112	194	1,25,66,255	53 **14,844	46,86,124 11,46,72,329
13.	विवाह के लिए वित्तीय सहायता (नियम 282)	18	9,38,000	31	14,88,000	67	34,10,000	78	38,28,000
14.	परिवार पेंशन (नियम 283)	0	0	1	1,00,387	1	18,764	1	18,000
15.	डीटीसी नॉन ए.सी. बस में यात्रा पास (नियम 283 {सी})	0	0	0	0	0	0	2,152	48,08,789
16.	कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अकादमी का निर्माण (नियम 283 {ए})	0	13,54,080	0	0	0	0	0	***15,76,000
17.	बीमा पॉलिसी (नियम 286)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	कोविड-19 के दौरान अनुग्रह राशि का भुगतान और दिल्ली में प्रदूषण के कारण सन्निर्माण गतिविधियों पर रोक	32,358	14,58,95,000	45,966	30,00,65,000	5,75,753	446,09,30,000	41,434	36,73,40,000

क्रम. सं.	योजनाओं के नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि
19.	कोविड-19 के दौरान सन्निर्माण कर्मकारों को उपलब्ध कराया गया भोजन	0	0	0	0	0	67,57,118	0	4,54,897
20.	कर्मकार जागरूकता (कर्मकारों में जागरूकता के लिए विज्ञापन, पत्रक, एसएमएस, कर्मकारों के पंजीकरण और नवीकरण के लिए शिविर आयोजित करने हेतु लैपटॉप/प्रिंटर किराए पर लेने हेतु व्यय)		4,27,429		13,88,809		14,13,033		3,76,656
	कुल		**48,89,03,730**		**36,95,36,727**		**458,08,08,358**		**61,10,91,128**

***यह डेटा 2017-18 की अवधि के लिए शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता से संबंधित है।**

**** यह डेटा 2018-19, 2019-20 की अवधि के लिए शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता से संबंधित है।**

*****पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों को प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय को दिया गया अग्रिम।**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/new-delhi/hi